न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट संख्या–03,अलीगढ़।
उपस्थितः– ज्योति सिंह, एच0जे0एस0
प्रकीर्ण याचिका संख्या– 73/2019

1.

2.

आखला नइ दिल्ला

...........याची

बनाम

1.

2.

...........विपक्षिया।

अंतर्गत धारा–8,10,एवं 25 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण/वादीगण नसरीन बेगम व गुफरान निश्तर की ओर से विपक्षीगण प्रो0 मौहम्मद सज्जाद एवं श्रीमती नसरीन के विरुद्ध 8,10, एवं 25 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

याचिका के अनुसार याचीगण/वादीगण का संक्षेप में कथन है कि याचिकाकर्ता 5 साल की नाबालिग बच्ची के जैविक माता पिता है याचिकाकर्ता के चार बच्चे है याचिकाकर्ता अपनी शादी के बाद परिवार के साथ दुबई में रह रहे है और बाद में सउदी अरब के जद्दा में स्थानान्तरित हो गए। प्रतिवादी संख्या–1 और 2 पति पत्नी है प्रतिवादी नं0–1 याचिकाकर्ता संख्या–1 का सगा भाई है और प्रतिवादी संख्या–2 याची संख्या–1 की भाभी है प्रतिवादी संख्या–1 मौहम्मद सज्जाद वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है प्रतिवादी संख्या–1 और 2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर के भीतर उपलबध कराये गये क्वार्टर में रह रहे है प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या–2 से विवाह किया। उनकी शादी के 19 साल तक उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। प्रतिवादीगण अपना बच्चा न होने के कारण अवसाद में थे उनकी हमेशा ये इच्छा थी कि वा एक बच्चे की देखभाल व संरक्षक बने। उन्होंने प्रतिवादी संख्या–2 के भाई मो0 जहीर से उसके नाबालिग बच्चे को कुछ समय रखने की इच्छा एवं की देखभाल करने और उसे सभी सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया। इस तरह उन्हें नाबालिग बच्चे का साथ मिलता और वे डिप्रशन से बाहर निकल पाते। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 के भाई मो0 जहीर से एक बच्चा उन्हें देने की प्रार्थना की। मौ0 जहीर उसके भावनात्मक अनुरोध को अस्वीकार नही कर

सका और रिश्ते की निकटता को देखते हुये मौहम्मद जहीर और उनकी पत्नी ने प्रतिवादीगण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अप्रैल 2012 में वे अपनी एक बेटी को उन्हें देने के लिये सहमत हुये, मौहम्मद जहीर द्वारा अपनी बेटी को उक्त प्रतिवादियों को देने के 3 माह बाद जब वह अपनी बेटी की भलाई के बारे में जानने और उससे मिलने के लिए अलीगढ़ में आवास पर पहूँचे तो प्रतिवादी संख्या–1 व 2 उग्र हो गये और उन्हें बताया कि उन्हें उनके अवास पर आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिये क्योंकि उन्हें उनकी बेटी के बारे में कोई चिंता नहीं होनी चाहिये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नाबालिग के जैविक माता पिता मौहम्मद जहीर को अनुमति नहीं दी, इस घटना के तुरन्त बाद मौहम्मद जहीर अपनी बेटी को उनसे वापिस ले गया और ~~और~~ जमशेदपुर बिहार वापिस आ गया। याचिकाकर्ता को दिनांक 16.12.2013 को जद्दा सउदी अरब में एक बच्ची पैदा हुई। उप कौंसल, भारत के महावाणिज्य दूतावास जेददा ने दिनांक 23.01.2014 को याचिकार्ताओं को बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र जारी किया। उक्त प्रमाणपत्र में माता और पिता के नाम निर्दिष्ट है मौ0 जहीर के अपनी बेटी वापिस लें जाने पर उत्तरदाता 1 व 2 डिप्रेशन में चले गए। वे उस नुकसान का सामना नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने झेला है जहीर के अपनी बेटी को उनसे वापिस लेने पर उनकी हालत देखकर याचिकाकर्ता की मॉ और प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को अपनी नवजात बेटी को प्रतिवादी को कुछ समय के लिए देने के लिये जोर देना शुरू कर दिया जिससे वो अपनी परेशान मानसिक स्थति से निकलकर सामान्य जीवन जी सके। याचिकाकर्ता नं0–1 अपने भाई को नहीं देख सकी और अपने भाई की चिंता को देखते हुये याचिकाकर्ता नं0–1 ने अपने पति की अनुमति से अपनी नाबालिग बेटी को प्रतिवादीगण को देने का फैसला किया। जिससे प्रतिवादीगण के बच्चा न होने के अवसाद से बाहर आ सके। याचिकार्ताओं का मानना था कि नाबालिग बेटी प्रतिवादीगण के लिए भाग्य लाएगी और प्रतिवादीगण के एक दिन अपना बच्चा होगा। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने याचिकाकताओं से अनुरोध किया कि वे अपनी बेटी को तब तक अपने साथ छोड़ दे जब तक कि वे अवसाद से बाहर नहीं आ जाते और उन्होंने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जब तक वह उनके साथ है वे उसको अपनी बेटी की तरह देखभाल करेंगे। 11 मार्च 2014 में याचिकाकर्ता अपने बच्चों के साथ भारत आए और दिल्ली में उक्त स्थायी पते पर रह रहे थे। भारी मन से उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी को प्रतिवादीगण को देने का फैसला किया। अप्रैल 2014 में याचीगण ने प्रतिवादीगण से दिल्ली मे उनके घर आने के लिये कहा ताकि वे नाबालिग बेटी को उक्त प्रतिवादीयो को दे सके। उक्त प्रतिवादी अप्रैल 2014 में याचिकाकर्ता के दिल्ली स्थित आवास पर नाबालिग बच्चो से मिलने और उसे अपने साथ ले जाने क लिए तुरन्त आए। उसी समय उक्त प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि वे याचिकाकर्ता को आडियो और वीडियों कॉल के माध्यम से नाबालिग बच्चे के सपर्क मे रहने देंगे जब तक कि बच्चा प्रतिवादिगण के साथ है और जब भी याचिकाकर्ता भारत आएगे तो उनका अच्छे से बच्ची से मिलाया जाएगा। प्रतिवादियों के बार बार अनुरोध और आग्रह पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी नाबालिग बेटी का पासपोर्ट और उसका जन्म प्रमाणपत्र भी उन्हें

65A1/2

सौंप दिया। प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उन्हें नाबालिग बच्चे की पहचान के प्रमाण के रूप में उक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उसी समय प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक विलेख इकरारनामा मिला जिसके लिये प्रतिवादी सख्या–1 ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उक्त दस्तावेजों का उपयोग बेटी के स्कूल में प्रवेश के लिए किया जाएगा क्योंकि माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी।अपने भाई पर विश्वास करते हुये याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों को पढ़े बिना ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। याचिकाकर्ताओं को आज तक उक्त दस्तावेज की वास्तविक तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेटी को प्रतिवादीगण के साथ छोड़कर वे सउदी अरब के लिए रवाना हुए। याचिकाकर्ता अपनी बेटी से वीडियों और ऑडियों कॉलिंग के जरिये संपर्क में रहे। भले ही वह अपनी नाबालिग बेटी को याद करेगे उक्त प्रतिवादीगण की स्थिति को समझाते हुये याचिकाकर्ताओं ने उन्हें अपनी बेटी को अपने पास रखने की अनुमति दी। वर्ष 2015 में याचिकाकर्ता अवकाश पर भारत आए थे पूरा परिवार बच्ची से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था और उत्साहित था प्रतिवादीगण के घर पहुँचने पर उन्हें बहुत अनइच्छित महसूस हुआ तथा प्रतिवादीगण का व्यवहार बदला हुआ लगा और उन्हें महसूस हुआ कि प्रतिवादीगण उनके वहाँ रहने से असहज दिख रहे है। प्रार्थी की 2017 की छुटटी में भारत आने का मुख्य उददेशय अपनी पुत्री ~~[illegible]~~ से मिलना था जब प्रार्थीगण संख्या–1 व 2 पुत्री ~~[illegible]~~ से मिलने घर गये तो विपक्षीगण ने उनके साथ गाली गलौच करते हुये अपमानजनक शब्दों और यहाँ तक कि विपक्षीगण संख्या–1 ने प्रार्थी संख्या–2 पर हाथ उठाया तथा प्रार्थीगण ने अपनी बेटी से मिलने की प्रार्थना की किन्तु मिलने नहीं दिया और अन्दर से दरवाजा बंद कर लिया और यहाँ तक की वच्ची से मिलना तो दूर उसको देखने नहीं दिया। और जब प्रार्थीगण अपनी पुत्री से मिलने के लिये फोन करते वह कुछ न कुछ बहाना बना देते। जिसपर प्रार्थीगण को महसूस हुआ कि कुछ बात तो है वे फिर बच्ची से मिलने के लिये जायेगे लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया जिससे उन्हें विपक्षीगण के व्यवहार मे पूर्णत परिवर्तन नजर आया। उसी समय प्रार्थी संख्या–1 ने अपनी मॉ से कहा तो मॉ ने कहा कि धैर्य रखो और अपने भाई को समझने की कोशिश करो क्योंकि वह मुश्किल समय से गुजर रहा है और मॉ ने उनको मना लिया कि वह कुछ समय अपने बेटी को विपक्षीगण के साथ छोड़ दे जिससे कि वह इस दुख से बाहर आ सके तब उसने कुछ और समय के लिये अपनी पुत्री को विपक्षीगण के साथ छोड़ दिया दिनांक 07.05.2018 को प्रार्थी संख्या–1 ने अपने चौथे वच्चे पुत्र को जन्म दिया तब उसने यह सामाचार अपने भाई को साझा किया तब उसको महसूस हुआ कि वह खुश नहीं था कुछ समय बाद उसने अपने भाई को अपनी पुत्री से मिलने के लिये आने को कहा तो विपक्षी संख्या–1 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और तरह तरह के बहाने लिये। इस तरह से प्रार्थीगण दुखी हुये और सउदी अरब जाने से पहले वह अपनी पुत्री से नही मिल पाये । जब भी बच्चे से मिलने की बात होती विपक्षीगण नाराज हो जाते कि वह बच्ची के साथ किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी और अत्याचार नही चाहते। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या–1 को बताया कि 3–4 माह बाद वह

[illegible]

भारत आयेगे और अपनी बच्ची को जददा ले जायेगे इस तरह से प्रार्थीगण को सउदी अरब जाने के लिये टिकट हो गया और वह एक दम वीजा न होने के कारण से नाबालिग पुत्री को तुरन्त अपने साथ नहीं ले जा सकते थे तब उन्होंने विपक्षी से कहा कि जैसे ही वीजा जारी हो जावेगा जिसमें कुछ समय लगेगा, और उन्हें अपनी फिलाईट की टिकट दुबारा करानी पड़ेगी जो कि प्रार्थी संख्या–2 के लिये भारी खर्चा होगा। इस तरह से प्रार्थीसंख्या–2 ने वापिस जाकर जददा सउदी अरब में अपनी नौकरी ज्वौइन कर ली। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या–1 से प्रार्थना कि वह उनकी बच्ची को 3 माह के लिये जब तक वह वापिस आते है देखभाल करें। प्रार्थीगण ने नाबालिग का पासपोर्ट उनसे ले लिया जिससे की वीजा जारी होने पर वह अपनी साथ बच्चे का ले जा सके विपक्षीगण संख्या–1 ने प्रार्थीगण को सूचित किया कि उसकी पत्नी के पास दस्तावेज है वह दे देगी। उसके 2–3 दिन बाद विपक्षीगण संख्या–2 ने नाबालिग बच्ची के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ और पासपोर्ट प्रार्थीगण संख्या–1 को दे दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि विपक्षीगण बच्ची को अपने साथ आगे रखना नहीं चाहते वो अब वह बच्चा न होने के कारण अवसाद में नहीं है इसके बाद प्रार्थीगण ने यह तय कर लिया कि 3–4 माह बाद जब वह भारत आयेगे तो अपनी बच्ची को जददा ले जायेगे विपक्षीगण के इस बदले हुये व्यवहार को देखते हुये उनका बच्ची को अपने साथ रखने का मैलाफाईड इन्टेंशन पता लगा तब उन्होंने तय किया कि वह अपनी बच्ची को वापिस ले लेगे। और तब प्रार्थी संख्या–2 ने बच्ची के लिये वीजा की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिनांक 25.07.2018 को सउदी अरब से बच्ची के नाम वीजा जारी हो गया। प्रार्थीगण निश्चित कर चुके थे कि वे अपनी बेटी को वापिस ले जायेगे जब दुबारा प्रार्थीगणर भारत आये तो उन्हें पता चला कि विपक्षीगण ने उनकी बेटी का फर्जी प्रपत्रों के आधार पर झूठा जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया है और फर्जी प्रपत्रों के आधार पर ही बच्ची का नाम बदल दिया है जिससे उन्हें अपने आप को विपक्षीगण के द्वारा विश्वास तोड़ा गया तथा छलित महसूस करते हुये विपक्षीगण की बच्ची को हमेंशा के लिए अपने पास रखने की मंशा के कारण वो बच्ची से याचिकाकर्ताओं को मिलने नहीं दे रहा है। तब उन्होंने निश्चित किया कि वह अपनी बच्ची को अपने साथ ले जायेगे वर्ष 2018 में जब प्रार्थीगण अपनी पुत्री से मिलने आवास पर गये तो उसके साथ गाली गलौच की और घर के अन्दर नहीं आने दिया न ही बच्चे से मिलने दिया और न ही उससे बात करायी। तब प्रार्थीगण संख्या–1 ने अपनी मॉ को बुलाया और कहा कि वह उनके साथ रहे, 8 माह के प्रवास के दौरान विपक्षीगण ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और नौकरानी की तरह रखा मॉ के साथ अनेक शारीरिक परेशानी होने के बाद भी उनसे घर का काम कराया यहॉ तक कहा कि यदि प्रार्थी उनसे अपनी बच्ची वापिस मॉगना नहीं छोड़ेगे तो वह उन्हें मार देगें और मॉ से कहा कि वह बच्ची का वापिस नहीं देगे जब उन्होंने विपक्षीगण से बच्ची का नाम बदलने के बारे मे पूछा तो वह नाराज हो गये और गाली गलौच करने लगे जिससे उनके विरूद्ध धारा 352,506, भा0द0स0 के तहत अपराध बनता है। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण का विश्वास तोड दिया। विपक्षीगण का इस तरह का व्यवहार बच्ची के मानसिक स्वास्थ और वेलफेयर के लिये अच्छा नहीं है

न्यायालय
जिला एवं सत्र
उ0प्र0

65A1/3

प्रार्थीगण बच्ची के प्राकृतिक माता पिता है और बच्ची की अभिरक्षा वापिस लेने का उनका विधिक अधिकारी है विपक्षीगण ने बिना किसी विधिक अधिकार के बच्ची को अपने पास रख रखा है और उनके पास प्रार्थीगण को अपनी बच्ची को वापिस लेने से रोकने का कोई अधिकारी नहीं है अब विपक्षीगण यह दावा कर रहे है कि उन्होंने बच्ची को गोद ले लिया है और अब वही उसके माता पिता है और प्रार्थीगण को बच्ची से मिलने नहीं दे रहे मुस्लिम विधि के अन्तर्गत गोद लेना जायज़ नहीं है विपक्षी संख्या–1 जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति है और प्रोफेसर हैं इस बात को अच्छी तरह से जानते है। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के इस विश्वास को तोड़ कि जब वह ड्रिप्रेशन से बाहर आ जायेगे तो प्रार्थीगण के मॉगने पर उनकी बच्ची को उन्हें दे देगे मुस्लिम विधि कफाला को मानयता देती है जिसमें बच्चे के परवरिश व वित्ततीय मदद करना शामिल है तब भी बच्चा अपने प्राकृतिक माता पिता का ही रहता है गोद लेने वाले माता पिता का नहीं । कफाला को यूनाईटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राईटस ऑफ द चाईल्ड 20(3) में भी मान्यता है एव जे0जे0 अधिनियम 2000 में भी मान्यता है। धार्मिक पुस्तक कुरान भी गोद लेने को मान्यता नहीं देती वो भी मात्र बच्चे के केयर टेकर के रूप में मान्यता देता है पेरेन्ट के रूप में नहीं। दगादाबाई बनाम अब्बास एलएसगुलाब रूस्तम पिंजरी में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिंद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मुस्लिम लॉ में गोद लेने की मान्यता नहीं है। यूनिफार्म सिविल कोड अभी लागू नहीं है माननीय उच्च न्यायालय बाम्बे की विधि व्यवस्था शेख जमीर सययद सैमुद्दीन बनाम चीफ आसिफसर द मुनिसपिल काउसिंल एवं अन्य, अनेक माननीय न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में मुस्लिम पक्षकारों में गोद लेने को मान्यता नहीं दी है। मुस्लिम रीलीजन के अभिरक्षा पर नवीतम केस तेजस्वनी गौड़ एवं अन्य वनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एवं अन्य से भी एपेक्स कोर्ट द्वारा बच्ची की अभिरक्षा पर हैवियस कॉरपस की रिट इशू की और बच्ची को विपक्षी से पिता को दिलाया गया। मुस्लिम विधि में यह भी सर्वाधिक है कि मुस्लिम विधि में किसी व्यक्ति को अपना नाम वदलने की अनुमति नहीं दी जाती है जब कि विपक्षीगण ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नावालिग वच्ची का नाम बदला जो कि अन्तर्गत 464 भा0दं0सं0 दण्डनीय है। प्रार्थीगण की अपनी बच्ची को वार बार मिलने की प्रार्थना को भी विपक्षीगण ने नजरअंदाज कर दिया तव से लेकर प्रार्थीगण इसलिये शांत रहे कि वह इस मामले को पारिवारिक मामला होने के कारण आपस में सुलझा लेगे। परन्तु विपक्षीगण ने बच्ची से प्रार्थीगण का मिलना जुलने की अनुमति नहीं दी जिसपर उन्होनें अपनी बच्ची को वापिस लेने के लिये यह याचिका प्रस्तुत की। दिनांक 25.06.2019 को काउन्सलेट जनरल ऑफ इण्डिया जद्दा सउदी अरविया को एक प्रार्थनापत्र अपनी नाबालिग बच्ची को वापिस बुलाने में मदद के लिये लिखा जिस पर उन्होंने अधिकृत व्यक्ति को निर्देश दिया कि

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

30/1/18

वाईस चांसलर अलीगढ़ मुसिलम विश्वविद्यालय को निर्देश दें कि उन्हें व उनके परिवार को उनकीनाबालिग बच्ची से मिलने की अनुमति प्रदान करावे। प्रार्थीगण ने आर0टी0आई0 में 25.07.19 को ऑवर लेडी फातिमा स्कूल से ~~में~~ बच्ची के जन्म प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में जानकारी भी मॉगी। विपक्षीगण का नाबालिग बच्ची से उसके माता पिता को न मिलने देना अन्याय पूर्ण है और उनके लिये मानसिक अशांति का कारण बन रहा है। विपक्षीगण की बच्ची को गोद लेने की कहानी एक पूर्णतः बनायी हुई कहानी है और जब कि नाबालिग बच्ची को कुछ समय के लिये जब तक विपक्षीगण बच्चा न होने के डिप्रेशन से बाहर न आ जाये के लिये दिया गया था प्रार्थीगण की कभी भी यह मंशा नहीं थी कि वह अपनी पुत्री को विपक्षीगण को हमेशा के लिये दे देगे। प्रार्थी संख्या–2 ने प्रत्येक वर्ष बच्ची के नाम से सउदी अरब से जारी BUPA कार्ड को रिन्यूवल कराया जिसपर 3000 रियाल का खर्च आता है उनकी कभी मंशा नहीं थी वह अपनी बच्ची को हमेशा के लिये विपक्षीगण के पास रहने देगे। वह हमेश बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहते थे जिससे कि पूरा परिवार एक साथ रहे। नाबालिग बच्ची का पासपोर्ट जो दिनांक 21.01.14 को जारी हुआ था में स्थायी पता 71/86 जाकिर नगर मेन रोड ओकला न्यू देहली और वर्तमान पते में बी0–9 मैडिकल कॉलौनी ए0एम0यू0 कैम्पस और माता पिता के नाम में प्रार्थीगण का नाम अंकित है। वर्तमान याचिका के प्रयोजनों के लिए कार्यवाही का कारण याचिकाकताओं की बेटी को विपक्षीगण द्वारा वापिस करने से इन्कार करने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

विपक्षीगण द्वारा अपनी आपत्ति/जवाब दाखिल करते हुये प्रार्थिया के कथनों का खण्डन करते हुये अतिरिक्त कथन किया कि प्रार्थीगण नाबालिग बच्ची जो कि साढे छ वर्ष की है के बॉयलोजिकल पैरेंटस है उत्तरदाता संख्या–1 का विवाह उत्तरदाता संख्या–2 के साथ हुआ और दुर्भाग्य से उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआा तब प्रार्थीगण ने अपनी खुशी व इच्छा से अवयस्क बच्ची को 11.04.2014 को विपक्षीगण को गोद दे दिया। प्रार्थीगण अवयस्क बच्ची के बाईलोजिकल पैरेन्टस है प्रार्थीगण द्वारा अवयस्क बच्ची को स्वेच्छा से उत्तरदातागण को दिया गया है अतः धारा 25 प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तग्रत वह अपनी बच्ची की विपक्षीगण से अभिरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते है। वर्ष 2014 से पहले प्रार्थीगण के दो पुत्रिया व एक पुत्र था उत्तरदातागण के अपना कोई बच्चा नहीं था तब प्रार्थीगण ने स्वय से, अपनी बच्ची के जन्म के कुछ माह बाद ही गोद लिये जाने का प्रपोजल रखा, जिसे विपक्षीगण ने खुशी से स्वीकार कर लिया जिसके पश्चात उभयपक्ष की सहमति से साढे तीनमाह की बच्ची को 11.04.14 को समस्तीपुर बिहार मे विपक्षीगण ने प्रार्थीगण से ले लिया और 11.04.14 को एक गोदनामा निष्पादित हुआ जिसपर प्रार्थीगण ने सोच समझकर हस्ताक्षर किये तथा जहॉ कही भी दुरूस्तीकरण था

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

वहाँ पर शूक्ष्म हस्ताक्षर किये। प्रार्थीगण पढ़े लिखे व्यक्ति है और 11.04.14 को अपनी स्वतंत्र इच्छा से उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। जो कि नोटराईड डीड है 11.04.14 से, जब से नाबालिग बच्ची साढ़े तीन माह की थी तब से स्नेह देखभाल प्यार के साथ विपक्षीगण ने उसको अपनी बेटी की तरह रखा है अब वह साढ़े छ वर्ष की हो गयी है और वो उनके जीवन का एक हिस्सा है और वो उसको अपने हृदय से प्यार करते है और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते है। उत्तरदातागण ने बच्ची के खुशी के लिये हर उत्तम प्रयास किया बच्ची विपक्षीगण से बहुत करीब है और वह उनके बिना नहीं रह सकती है बच्ची अलीगढ़ के अच्छे स्कूलों में से एक आवर लेडी फातिमा में कक्षा 1 से कक्षा दो में आयी है उत्तरदातागण उसके पढ़ाई का विशेष रूपसे ध्यान रखते है जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके यदि बच्ची की अभिरक्षा उत्तरदागण से ले ली जावेगी तो उत्तरदातागण गहरे सदमें में चले जायेगे और वह अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पायेगे और उनके स्वास्थ व जीवन पर भी असर पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ गोद लेने को मान्यता देता है या नहीं इन तकनीकी बातों पर न जाकर यहॉ पर बच्ची का वेलफेयर मुख्य बिन्दु है विधि जिसके विरूद्ध कभी नही हो सकती। बच्ची की अभिरक्षा के लिये उसकी उन्नती ऐश्वर्य खुश आनन्द व हित उच्च प्रांथमिकता रखते है जो कि उसके विपक्षीगण के साथ रहकर, उसका भविष्य उज्जवल बन सके न कि तकनीकी कारणों में कि मुस्लिम विधि में गोद लेने व देने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बच्चे की उन्नती ऐश्वर्य व सुख व हित से उपर नहीं हो सकता है अतः यहॉ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है यह है कि नाबालिग बच्ची की उन्नती ऐश्वर्य सुख आनन्द व हित किसके साथ में है। याचीगण द्वारा मात्र साढ़े तीन माह की अल्प आयु में बच्ची को दिये जाने के फलस्वरूप उसकापालन पोषण विपक्षीगण द्वारा लगातार अब तक करना महत्वपूर्ण है जो स्वय स्पष्ट करता है कि यदि याचीगण वास्तव में बच्ची को अपने साथ रखकर पालन पोषण करना चाहते तो वह अपनी स्वेच्छा से उसे विपक्षीगण की अभिरक्षा म इतनी अल्प आयु में न देते। याचीगण का यह कहना उनके द्वारा बच्ची विपक्षीगण के डिप्रेशन को दूर करने के लिये दी गयी थीं किसी साधारण सामान्य प्रज्ञयावान व्यक्ति के लिय भी विश्वास योग्य नहीं है क्योकि किसी रिश्तेदार के डिप्रेशन को दूर करने के लिये अल्प आयु में वच्चा दिया जाता है और वह रिश्तेदार उस बच्चे को पाल पोष कर बड़ा करता है और उसका लगाव उस वच्चे के प्रति चरम सीमा तक पहुँचा जाता है उस समय वच्च को उन रिश्तेदारों की अभिरक्षा से ले लिया जाना उन रिश्तेदारों पर बज्रपात के समान है और उस समय उनका डिप्रेशन अपने चरम पर होगा जिससे निकलनाा हमेंशा हमेशा के लिये असम्भव है। याचीगण ने अपनी याचिका में यह नहीं बताया है कि बच्ची को उन्होंने किस समय तक के लिये दिया था जो इस बात को द्योतक है कि वास्तव

में याचीगण ने बच्ची को हमेशा हमेशा के लिये विपक्षीगण को गोद दिया था। याचीसंख्या –1 ने बच्चे का गर्भधारण इस उददेशय से किया कि बच्चे को विपक्षीगण को गोद देना है याचीगण के बताये कफाला सिस्टम में भी बच्चे के देखरेख की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसमें भी वेलफेयर ऑफ द चाईल्ड ही महत्वपूर्ण है याचीगण के दिमाग में नाबालिग को विपक्षीगण को गोद देने में तीन फायदे नजर आ रहे थे प्रथम कि याचीगण विपक्षीगण के साथ उनके निवास पर लम्बे समय तक नाबालिग के बहाने रह सके और बाद में नाबालिग के अभिरखा मॉगकर उनको परेशान कर सके साथ ही साऊदी अरेबिया में हर आदमी पर लगने वाला चार सौ रियाल तक पहुॅचा कर तथा अकाबामा सउदीया में रहने का नवीनीकरण जो प्रतिवर्ष हर व्यक्ति के लिये 1800 रियाल था बच सके, याची संख्या–2 याची संख्या–1 के साथ अपने सभी बच्चों को विपक्षीगण के निवास पर छोड़ कर सऊदी में नौकरी कर सके और अपने खर्चे से बचा जा सके जब विपक्षीगण ने याची व उसके बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुये तो याचीगण ने माननीय उच्च न्यायलय दिल्ली झूठे कथनों के साथ याचिका दायर कर दी याची संख्या–2 की स्थायी नौकरी न होने के कारण नाबालिग के गोद लेने के मात्र एक माह बाद ही मई 2014 में दो लाख रूपये की मॉग ईमेल द्वारा की गई और विपक्षी ने अपने एस0बी0आई के एकाउण्ट से फिरोज को रूपया याची के कहे अनुसार दिया गोदनामा ——11.04.14 निष्पादित करने के बाद याचीगण ने नाबालिग का जन्म प्रमाणपत्र विपक्षीगण संख्या–1 को यह समझकर दिया कि उसकी जरूरत स्कूल में होगी और पासपोर्ट यह कहकर ले गये कि उसकी जरूरत नाबालिग का नाम अकामा से हटवाने के लिये होगा। जहीर अहमद और उसकी पत्नी ने हम विपक्षीगण को अपना बच्चा गोद लेने के लिये कहा था लेकिन वह स्वय कुछ माह बाद अपनी बच्ची को ले गये विपक्षीगण कभी भी नाबालिग को अप्रैल 2014 में दिल्ली से नहीं लाये और बल्कि उक्त गोदनामा अभिलेख याचीगण ने अपनी स्वेच्छा से कराया था और पढ़कर समझाकर उसपर हस्ताक्षर किये थे। विपक्षीगण ने बच्ची का झूॅठा जन्म प्रमाणपत्र व उसपर नाम परिवर्तित गलत बताया गया है विपक्षीगण ने कभी अपनी मॉ के साथ कोई बुरा वर्ताव नहीं किया विपक्षीगण ने कभी भी बच्ची के प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया है असल गोदनामा 11.04.14 जो कि मूल रूप में पत्रावली पर है मे याचीगण गुफरान नश्तर व श्रीमती नसरीन बेगम प्रथम पक्ष तथा डा मौ0 सज्जाद श्री नरगिस बेगम के मध्य नोटरी के समक्ष निष्पादित हुआ टाईप होने के पश्चात उसे उक्त अभिलेख को प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को पढ़कर समझा दिया गया उक्त अभिलेख पर समझाने के पश्चात गुफरान नश्तर व नसरीन बेगम ने अपने हस्ताक्षर मेरे सामने किये तत्पश्चात द्वितीय पक्ष ने अपने हस्ताक्षर किये इस पर बतौर गवाह श्रीमती महजबीन परवीन ने अपने हस्ताक्षर व शहनाज बेगम ने निशानी अंगूठ परवेज आलम, अफसाना

न्यायालय जिला एवं सत्र

GSA/5

बेगम, व मौ0 अशराफ परवेज ने अपने अपने हस्ताक्षर मेरे सामने किये प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष चारों गवाहों की शिनाख्त शकील अहमद अधिवक्ता ने की थी जो कि मेरी बहन महजवीन परवीन के पति है। मैं उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ उसके पश्चात वह नोटरी के समक्ष प्रस्तुत हुआ नौटरी के समक्ष इस अभिलेख का निष्पादन प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष से स्वीकार किया तत्पश्चात नोटरी ने अपना प्रष्ठांकन हस्ताक्षर व सील लगाया जिनहें मै पहचानता हूँ और शिनाख्त करता हूँ उत्तरदाता ए0एम0यू0 में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है उसने कभी कोई अपराध नहीं किया और न उसके विरूद्ध आज तक आपराधिक मामलों में न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, वह हरगिज गुस्सेल नहीं है उत्तरदाता का कभी कोई झगड़ा माता पिता, रिश्तेदार व दोस्तों से नहीं हुआ उत्तरदाता के अपने पिता से सम्बन्ध उनकी मृत्यु तक अत्यन्त मधुर रहे और पिता भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उत्तरदाता ने जब जब आवश्यकता हुई अपनी मॉ की सेवा व देखभाल की, वर्ष 2018 में कभी भी अपनी मॉ के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया 2005 अलीगढ़ 2010 में पटना में अपनी मॉ का सर्जिकल ट्रीटमेन्ट अपने खर्चे पर कराया और हर प्रकार से ख्याल रखा। उत्तरदाता व उसकी पत्नी ने कभी भी बच्ची की देखभाल नौकरानी से नहीं करायी बच्ची से सम्बन्धित समस्त देखभाल पालन पोषण पढ़ाई लिखाई उसके स्कूल के समय से अलग उत्तरदाता ही करते है वहीं घर पर पढ़ाते है अतः बच्ची का वेलफेयर उत्तरदाता व उसकी पत्नी के साथ रहने में ही है नाबालिग को उत्तरदातागण से लेकर याचीगण को दिया गया तो नाबालिग उनके साथ सुखी व स्वस्थ नहीं रह पायेगी बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी होगा और भविष्य भी अंधकारमय हो जायेगा। शैक्षिक सत्र 2016–17 का नाबालिग का प्ले ग्रुप में अलबरकात स्कूल में प्रवेश कराते हुये याचीगण संख्या–1 व उसकी बड़ीं पुत्री हफीफा भी मौजूद थी उन्होंने नाबालिग के जन्म प्रमाणपत्र की फोटो प्रति जमा करके असल जन्म प्रमाणपत्र अपने पास रख लिया उत्तरदातागण ने कभी कोई प्रपत्र या अभिलेख कूटरचित नहीं किया है याचीगण द्वारा नाबालिग गोद स्वरूप हमेशा के लिये उत्तरदातागण को दिये जाने के साथ याची संख्या–2 उनसे रूपये एंठते रहे जब उन्होंने ब्लेकमेल होना बंद कर दिया जब मुकदमें बाजी शुरू हुई।

प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू–1 गुफरान निश्तर पी0डब्लू–2 मौ तारिक पी0डब्लू–3 महजबीन परवीन के साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे विपक्षीगण द्वारा जिरह की गयी है।

प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कॉन्सयूलेट जनरल आफ इण्डिया जददा सउदी अरेविया को गुफरान निश्तर द्वारा दिनांक 25.06.2019 को लिखे गये पत्र की प्रति, नाबालिग के पासपोर्ट की प्रति, नाबालिग के वीजा की प्रति, नसरीन बेगम द्वारा 25 जुलाई 2019 का आर0टी0आई0 में मॉगी गयी सूचना का पत्र, उक्त की

30/01/22

भुगतान की रसीद, प्रपत्र भूपा की छाया प्रतियॉ, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश दिनांकित 09 अगस्त 2019 की प्रति, मुख्तारनामा दिनांकित 12.09.19 की प्रति, 23ग/3 शहनाज बेगम का शपथपत्र असल, सूची 26 ग शहनाज बेगम के शपथपत्र की प्रति, गोदनामें की प्रति, माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 15.06.21, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय नगर का आदेश दिनांकित 08.10.21 की प्रतियॉ, 29ग सूची से प्रपत्र कन्स्यूलेट जनरल ऑफ इण्डिया के आदेश दिनांकित 23.01.14 की प्रति , नाबालिग के पासपोर्ट की प्रति, गुफरान निश्तर के पास पोर्ट की प्रति, नसरीन बेगम के पासपोर्ट की नोटरी प्रतियॉ, भूपा का असल कार्ड, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 15.06.21 की प्रति, सर्च वारण्ट के आदेश दिनांकित 30.09.21 की प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र 16.12.20 की प्रति, AECOM ARABIA LTD COM का आय प्रपत्र , AECOM मार्च 2022 का सेलरी से सम्बन्धित प्रपत्र, 34ग सूची से ई–मेल की प्रतियॉ, 43 ग सूची से फोटो ग्राफ, 54 सी सूची से दिनांक 09.05.22 का आफिस मीमो 16.04.21 का थाना प्रभारी जमशेदपुर को दी गयी प्रार्थनापत्र की प्रति, इम्प्लोयमेन्ट डिटेल संशोधन फार्म, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, 25.10.13 का थानाध्यक्ष सरैयापुर को दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रति, महामहिम राष्ट्रपति एवं अन्य लोगो को प्रेषित पत्र की छाया प्रतियॉ, ग्राम वासियों के हस्ताक्षर के साथ पत्र की प्रति, अखबार की कटिंग,–सूची 57 ग से जन्म प्रमाणपत्र की प्रति, रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रति, आदि प्रपत्र दाखिल किये गये है।

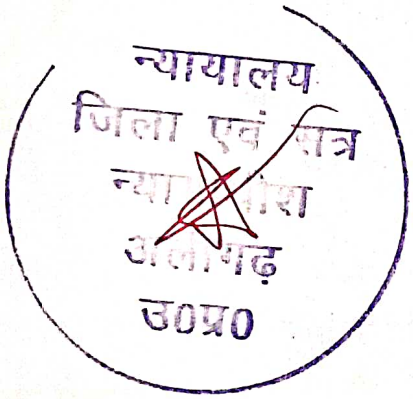

विपक्षीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू–1 मौहम्मद सज्जाद , डी0डब्लू–2 परवेज आलम, डी0डब्लू–3 नर्गिस बेगम के साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे प्रार्थीगण द्वारा जिरह की गयी।

विपक्षीगण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में 19ए असल इकरारनामा गोदनामा, ——रिपोर्ट कार्ड की छाया प्रतियॉ, 25ग सूची से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 15.12.21 की प्रति, 33ग सूची से ई–मेल की प्रतियॉ, 47ग सूची से फोटो ग्राफस आदि प्रपत्र दाखिल किये गये है।

प्रार्थीगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था अकबर आंनद एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य 2008(26)एलसीडी 294, यूनियर ऑफ इण्डिया बनाम गौरीशंकर एवं अन्य 2008(26)एलसीडी 297 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पवन कुमार गोयल बनाम नीतू 2020 (38) एलसीडी 2573, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दाखिल की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की प्रतियॉ, माननीय न्यायालयों की विधि व्यवस्था शाहकाम्बरी कालोनाईजर प्रा0लि0 मेरठ

31/3/22

CSA)
6

बनाम कन्टोनमेन्ट बोर्ड मेरठ 2006 (24) एलसीडी 1476, श्री उत्तमचंद (डी) जरिये उत्तराधिकारी बनाम नाथूराम (डी) जरिये उत्तराधिकारी 2020(38) एलसीडी 315 एससी, KATTINOKKULAMURALI KRISHNA versus VEERAMALLAKOTESWARA RAO AND OTHERS 2010 (28) LCD 216,SC अयुब खान नूर खान पठान बनाम महाराष्ट राज्य एवं अन्य ए0आई0आर0 2013 एससी 58, इफतखार शहजाद हुसैन एवं अन्य बनाम वकील अंसारी एवं अन्य ए0आई0आर0 2021 बोम्बे 127, अथरहुसैन बनाम सययद सिराज अहमद ए0आई0आर0 2010 एससी 1417, मौहमम्द सूनुस बनाम श्रीमती शमशाद बानों 1985 इलाहाबाद वीकली केसेज 386, धनवंती जौशी बनाम माधवउंदे 1997 एसएआर सिविल एससी 946, गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009)1 एससीसी 42, गायत्री बजाज बनाम जितेन भल्ला ए0आई0आर 2013 एससी 102, तरूण रंजन मजूमदार एवं अन्य बनाम सिद्धार्थ दत्ता ए0आई0आर0 1991 कलकत्ता 76, जीईवा मेरी एलिजावेथ बनाम जयाराज एवं अन्य ए0आई0आर0 2005 मद्रास 452, रविन्द्र कुमार शर्मा बनाम आसाम राज्य 1999 एसएआर सिविल 837 एससी दाखिल की गयी है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालयों की विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा सम्मान अवलोकन किया गया।

उभयपक्षों के अभिवचनो के आधार दिनांक 21.04.22 को निम्न विचारणीय बिन्दु निर्मित किये गये।

1. क्या प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अवयस्क/नाबालिग जैनव गुफरान के बॉयोलोजिकल, नेचूरल पेरेन्टस होते हुये अभिरक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।?

2. क्या प्रार्थी/वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

<u>निस्तारण विचारणीय बिन्दु संख्या 1</u>:– यह विचारणीय बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **"क्या प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अवयस्क/नाबालिग जैनव गुफरान के बॉयोलोजिकल, नेचूरल पेरेन्टस होते हुये अभिरक्षा प्राप्त करने के अधिकारी है।?**

इस सम्बन्ध में याची की ओर से कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता 5 साल की नाबालिग बच्ची के जैविक माता पिता है प्रतिवादी संख्या–1 और 2 पति पत्नी है प्रतिवादी नं0–1 याचिकाकर्ता संख्या–1 का सगा भाई है और प्रतिवादी संख्या–2 याची संख्या–1 की भागी है प्रतिवादी संख्या–1 मौहम्मद ससज्जाद वर्तमान में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या–2 से विवाह किया। उनकी शादी के 19 साल तक उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। प्रतिवादीगण अपना बच्चा न होने के कारण अवसाद में थे उनकी हमेशा ये इच्छा थी कि वो एक बच्चे की देखभाल करें व संरक्षक बने। जिसके लिये उन्होंने प्रतिवादी संख्या–2 के भाई

2/5/22

से एक बच्ची कुछ समय रखने के लिये ली परन्तु जहीर ने कुछ ही समय पश्चात अपनी बच्ची वापिस ले ली जिससे प्रतिवादीगण अवसाद में आ गये। याचिकाकर्ता को दिनांक 16.12.2013 को जद्दा सउदी अरब में एक बच्ची पैदा हुई। मौ0 जहीर के अपनी बेटी वापिस ले जाने पर उत्तरदाता 1 व 2 डिप्रेशन में चले गए। वे उस नुकसान का सामना नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने झेला है जहीर के अपनी बेटी को उनसे वापिस ले लेने पर उनकी हालत देखकर याचिकाकर्ता की मॉ और प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को अपनी नवजात बेटी को प्रतिवादी को कुछ समय के लिए देने के लिये कहा जिससे वो अपनी परेशान मानसिक स्थिति से निकलकर सामान्य जीवन जी सके। याचिकाकर्ता नं0–1 अपने भाई को नहीं देख सकी और अपने भाई की चिंता को देखते हुये याचिकाकर्ता नं0–1 ने अपने पति की अनुमति से अपनी नाबालिग बेटी को प्रतिवादीगण को देने का फैसला किया। जिससे प्रतिवादीगण के बच्चा न होने के अवसाद से बाहर आ सके। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने याचिकाकताओं से अनुरोध किया कि वे अपनी बेटी को तब तक उनके साथ छोड़ दे जब तक कि वे अवसाद से बाहर नहीं आ जाते और उन्होंने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जब तक वह उनके साथ है वे उसकी अपनी बेटी की तरह देखभाल करेंगे। 11 मार्च 2014 में याचिकाकर्ता अपने बच्चों के साथ भारत आए और भारी मन से उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी को प्रतिवादीगण को देने का फैसला किया। अप्रैल 2014 में याचीगण ने प्रतिवादीगण को दिल्ली मे उनके घर आने के लिये कहा ताकि वे नाबालिग बेटी को उक्त प्रतिवादीयो को दे सके। उक्त प्रतिवादी अप्रैल 2014 में याचिकाकर्ता के दिल्ली स्थित आवास पर नाबालिग बच्चे से मिलने और उसे अपने साथ ले जाने क लिए तुरन्त आए। उसी समय उक्त प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि वे याचिकाकर्ता को आडियो और वीडियों कॉल के माध्यम से नाबालिग बच्चे के संपर्क में रहने देगें जब तक कि बच्चा प्रतिवादिगण के साथ है और जब भी याचिकाकर्ता भारत आएंगे तो उनका अच्छे स बच्ची से मिलाया जाएगा। प्रतिवादियों के बार बार अनुरोध पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी नाबालिग बेटी का पासपोर्ट और उसका जन्म प्रमाणपत्र भी उन्हें सौंप दिया। प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उन्हें नाबालिग बच्चे की पहचान के प्रमाण के रूप में उक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उसी समय प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक विलेख इकरारनामा मिला जिसके लिये प्रतिवादी संख्या–1 ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उक्त दस्तावेजों का उपयोग बेटी के स्कूल में प्रवेश के लिए किया जाएगा क्योंकि माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी।अपने भाई पर विश्वास करते हुये याचिकाकर्ता ने हमारे दस्तावेजों को पढ़े बिना ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। याचिकाकर्ताओं को आज तक उक्त दस्तावेज की वास्तविक तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेटी को प्रतिवादीगण के साथ छोड़कर वे सउदी अरब के लिए रवाना हुए। याचिकाकर्ता अपनी बेटी उससे से वीडियों और ऑडियों कॉलिंग के जरिये संपर्क में रहे। भले ही वह अपनी नाबालिग बेटी को याद करेगे उक्त प्रतिवादीगण की स्थिति को समझाते हुये याचिकाकर्ताओं ने उन्हें अपनी बेटी को उनके पास रखने की अनुमति दी। वर्ष 2015

65A1/7

में याचिकाकर्ता अवकाश पर भारत आए थे पूरा परिवार नाबालिग से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था और उत्साहित था प्रतिवादीगण के घर पहुँचने पर उन्हें बहुत अनईच्छित महसूस हुआ तथा प्रतिवादीगण का व्यवहार बदला हुआ लगा और उन्हें महसूस हुआ कि प्रतिवादीगण उनके वहॉ रहने से असहज दिख रहे है। प्रार्थी की 2017 की छुटटी में भारत आने का मुख्य उददेशय अपनी पुत्री से मिलना था जब प्रार्थीगण नाबालिग से मिलने घर गये तो विपक्षीगण ने उनके साथ मिलने नहीं दिया इस सम्बन्ध में प्रार्थिया ने अपनी मॉ से कहा तो मॉ ने कहा कि ध ैर्य रखों और अपनी भाई को समझने की कोशिश करो क्योंकि वह मुंश्किल समय से गुजर रहा है और मॉ ने उनको मना लिया कि वह कुछ समय अपने बेटी को विपक्षीगण के साथ छोड़ दे, कुछ समय बाद उसने अपने भाई को अपनी पुत्री से मिलने के लिये आने को कहा तो विपक्षी संख्या–1 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया इस तरह से प्रार्थीगण दुखी हुये और सउदी अरब जाने से पहले वह अपनी पुत्री से नहीं मिल पाये । याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या–1 को बताया कि 3–4 माह बाद वह भारत आयेगे और अपनी बच्ची को जददा ले जायेगे इस तरह से प्रार्थीगण को सउदी अरब जाने के लिये टिकट हो गया और वह एक दम वीजा न होने के कारण वो नाबालिग पुत्री को तुरन्त अपने साथ नहीं ले जा सकते थे तब उन्होंने विपक्षी से कहा कि जैसे हीं वीजा जारी हो जावेगा जिसमें कुछ समय लगेगा, और उन्हें अपनी फिलाईट की टिकट दुबारा करानी पड़ेगी जो कि प्रार्थी संख्या–2 के लिये भारी खर्चा होगा। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या–1 से प्रार्थना कि वह उनकी बच्ची को 3 माह के लिये जब तक वह वापिस आते है देखभाल करें। प्रार्थीगण ने नाबालिग का पासपोर्ट उनसे ले लिया जिससे की वीजा जारी होने पर वह अपनी साथ बच्चे का ले जा सके। उसके 2–3 दिन बाद विपक्षीगण संख्या–2 ने नाबालिग बच्ची के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ और पासपोर्ट प्रार्थीगण सख्या–1 को दे दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि विपक्षीगण बच्ची को अपने साथ आगे रखना नहीं चाहते। वो अब वह बच्चा न होने के कारण अवसाद में नहीं है इसके बाद प्रार्थीगण ने यह तय कर लिया कि 3–4 माह बाद जब वह भारत आयेगे तो अपनी बच्ची को जददा ले जायेगे विपक्षीगण के इस बदले हुये व्यवहार को देखते हुये उनका बच्ची को अपने साथ रखने का मैलाफाईड इन्टेंशन पता लगा तब उन्होंने तय किया कि वह अपनी बच्ची को वापिस ले लेगे। और तब प्रार्थी संख्या–2 ने बच्ची के लिये वीजा की प्रकिया शुरू कर दी। दिनाक 25.07.2018 को सउदी अरब से बच्ची के नाम वीजा जारी हो गया। प्रार्थीगण निश्चित कर चुके थे कि वे अपनी बेटी को वापिस ले जायेगे जब दुबारा प्रार्थीगण भारत आये तो उन्हें पता चला कि विपक्षीगण ने उनकी बेटी का फर्ज़ी प्रपत्रों के आधार पर झूठा जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया है और फर्जी प्रपत्रों के आधार पर ही बच्ची का नाम बदल दिया है जिससे उन्हें अपने आप को विपक्षीगण के द्वारा विश्वास तोड़ा गया तथा चीट किया हुआ महसूस किया और विपक्षीगण को बच्ची को हमेशा के लिये अपने पास रखने की मंशा के कारण वो बच्ची से याचिकाकर्ता को मिलने नहीं दे रहे है। तब उन्होंने निश्चित किया कि वह अपनी बच्ची को अपने साथ ले जायगे वर्ष 2018 में जब प्रार्थीगण अपनी पुत्री से मिलने आवारा पर गये तब

3/1/24

उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बच्चे से मिलने नहीं दिया तथा प्रार्थिया की माँ के साथ भी गलत व्यवहार किया। विपक्षीगण का इस तरह का व्यवहार बच्ची के मानसिक स्वास्थ और वेलफेयर के लिये अच्छा नहीं है प्रार्थीगण बच्ची के प्राकृतिक माता पिता है और बच्ची की अभिरक्षा वापिस लेने का उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण की अपनी बच्ची को बार बार मिलने की प्रार्थना को भी विपक्षीगण ने नजरअंदाज कर दिया तब से लेकर प्रार्थीगण इसलिये शांत रहे कि वह इस मामले को पारिवारिक मामला होने के कारण आपस में सुलझा लेगे। मुस्लिम लॉ में गोदनामें को मान्यता नहीं है और जब कि नाबालिग बच्ची को कुछ समय के लिये जब तक विपक्षीगण बच्चा न होने के डिप्रेशन से बाहर न आ जाये के लिये दिया गया था प्रार्थीगण की कभी भी यह मंशा नहीं थी कि वह अपनी पुत्री नाबालिग को विपक्षीगण को हमेशा के लिये दे देगे। प्रार्थी संख्या–2 ने प्रत्येक वर्ष नाबालिग के नाम से सउदी अरब से जारी BUPA कार्ड को रिन्यूवल कराया जिसपर 3000 रियाल का खर्च आता है उनकी कभी मंशा नहीं थी वह अपनी बच्ची को हमेशा के लिये विपक्षीगण के पास रहने देगे। वह हमेशा नाबालिग को अपने साथ ले जाना चाहते थे। नाबालिग बच्ची का पासपोर्ट जो दिनांक 21.01.14 को जारी हुआ था। दिनांक 25.06.2019 को कान्सलेट जनरल ऑफ इण्डिया जददा सउदी अरेबिया को नाबालिग बच्ची को वापिस दिलाने हेतु पत्र लिखा था एवं आर0टी0आई0 ओ0एल0एफ स्कूल से जन्म प्रामाण पत्र के बारे में जानकारी भी माँगी थी विपक्षीगण का नाबालिग बच्ची से उसके माता पिता ने न मिलने देना अन्यायपूर्ण एवं उनके लिये मानसिक अशांति का कारण बन रहा है।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

प्रार्थी द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र मे प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन करते हुये अतिरिक्त कथन किया है कि याचीगण से एक सादे कागज पर दिनांक 11.04.14 को हस्ताक्षर अवैध रूप से कराते हुये फर्जी विश्वास दिलाया कि उक्त कागज का विपक्षीगण के द्वारा किसी भी प्रकार गैर कानूनी प्रयोग नहीं किया जावेगा। याचीगण के द्वारा अपनी पुत्री को शहनाज बेगम व विपक्षीगण को कुछ समय के लिये छोड़कर जददा सउदी अरब जाना पड़ा, जब कि बच्ची की वापिसी टिकट मय वीजा उपरोक्त कारणों से बेकार चली गयी, जब विपक्षीगण से पासपोर्ट व वीजा वापिस माँग तो पासपोर्ट व वीजा वापिस करते हुये कहा कि बच्ची का दूसरा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तथा अन्य फर्जी दस्तावेज गोदनामा बना लिया है जिसे हमने रजिस्टर्ड करा लिया है और हम बच्ची को वापिस नही करेंगे, याची संख्या–1 ने मारफत मुख्तारेआम सूफियान निस्तर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ 16.12.20 को पंजीकृत डॉक से विपक्षीगण को भेजी जिसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फर्जी गोदनामा पर लिये अंगूठा निशानी जो कि विपक्षी संख्या–1 की माँ है के द्वारा भी अपने शपथपत्र दिनांकित 05.04.21 के माध्यम से

30/01/22

65A1/8

गोदनामा को एक फर्जी दस्तावेज बताया है आवर लेडी फातिमा स्कूल द्वारा जारी 2019–20 के एकेडमिक सैशन के रिपोर्ट कार्ड की छाया प्रति में बच्ची का नाम......... सज्जाद दर्शाया गया है पिता के स्थान पर मौ0 सज्जाद एवं माता के स्थान पर नर्गिस बेगम दर्शित है जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण द्वारा बच्ची का पूर्व में जारी जन्म प्रमाणपत्र होने पर भी विपक्षीगण द्वारा एक फर्जी दूसरा जन्म प्रमाणपत्र .... सज्जाद को अपने आप को माता पिता दर्शाते हुये जारी कराया गया।

प्रार्थी द्वारा पी0डब्लू–1 के रूप में अपनी सशपथ जिरह में कथन किया गया है कि विपक्षी सज्जाद पढ़े लिखे व्यक्ति है उनकी पत्नी बीए करी हुई है मौ0 सज्जाद एएमयू में प्रोफेसर है बच्ची जब साढ़े तीन माह की थी तब मैने और मेरी पत्नी ने विपक्षीगण को सोंपा नहीं था बल्कि नानी के पास छोड़कर आये थे कुछ दिन के लिये विपक्षीगण भी मौजूद थे बच्ची को हमने विपक्षीगण को कभी नहीं सोंपा, बच्ची विपक्षीगण के पास साढ़े तीन माह की उम्र से अब तक रही है अब बच्ची आठ वर्ष चार माह की है पिछले 8 साल एक माह से रह रही है उसका पालन पोषण विपक्षीगण कर रहे है। बच्ची इस समय कक्षा 4 में अलीगढ़ के प्रतिष्ठित आवर लेडी फातिमा स्कूल में पढ़ रही है बच्ची शुरू से ही बड़े अच्छे नम्बरों से पास हुई है बच्ची होशियार व बुद्धिमान लड़की है। बच्ची को मुझे पापा व मेरी पत्नी को मम्मी कहकर 2018 तक पुकारा है उसके बाद हम बच्ची से नहीं मिले बच्ची की मर्जी के खिलाफ मै अपने साथ नहीं ले जाना चाहता बच्ची अपने भाई बहन के साथ रहना चाहती है 2019 में बच्ची ने अपनी नानी से बोला अनस भाई व अफीफा का फोन नहीं आ रहा है हम उनसे मिलना चाहते है और साथ रहना चाहते है यह बात मुझे बच्ची की नानी ने 2019 में बतायी उस समय अदनान मौजूद थे बच्ची की नानी व अदनान जीवित है मैने बच्ची से इच्छा जाननी चाही कि वह कहॉ रहना चाहती है यह बात सितम्बर 2018 की है मैनें यह जानने की कोशिश हमेशा की कि बच्ची व विपक्षीगण के मध्य एक दूसरे के प्रति लगाब है या नही मुझे 2018 में पता चला कि बच्ची का सज्जाद की तरफ लगाव है उसकी पत्नी के प्रति नहीं। विपक्षीगण से मैने पूछने की कोशिश नहीं की उनका बच्ची से कितना लगाव है। दिल्ली उच्च न्यायालय से मुझे बच्ची से मिलने का आदेश हुआ था उस आदेश के अनुपालन में मै बच्ची से नहीं मिला क्योंकि जो मेरा सबसे छोटा बेटा गुफरान डेढ़ वर्ष का था उसकी काफी तबीयत खराब थी। पिटीशन के पैरा 12 में जो उल्लेख मैने इकरारनामें का किया है वह इस केस की पत्रावली में लगे प्रपत्र संख्या 19ए से नहीं है 19ए पर मेरे व मेरी पत्नी के हस्ताक्षर है जो खाली कागज पर लिये गये है 19ए पर मैने व मेरी पत्नी ने 11.04.14 को हस्ताक्षर किये थे 19ए पर महजवीन परवीन के हस्ताक्षर, मेरी सास शहनाज की अंगूठा निशानी है जो मेरे सामने हुये थे। 19ए पर मेरे व मेरी पत्नी के हस्ताक्षर समस्तीपुर बिहार में हुये थे।

30/01/22

19ए पर लिखी तारीख 11.04.14 से विपक्षीगण के साथ नहीं है अप्रैल 2014 की किसी तारीख से बच्ची विपक्षीगण के साथ है शुरूआती तारीख 28.04.14 है यह तारीख मैनें अपने पास नोट नहीं की थी। मैने अपने शपथपत्र में फर्जी गोदनामा के बारे में लिखा है मैने अपने शपथपत्र में जो फर्जी दस्तावेज का उल्लेख किया है वह कागज सख्या 19ए ही है 19ए कागज इस केस की पत्रावली में सबसे पहले 24 या 26 फरवरी 22 को दखा था मैं फरवरी 22 में जद्दा सउदी अरब में था मैनें 19ए पर——11.04.14 को जो मैंने और मेरी पत्नी ने इस मकसद से हस्ताक्षर किये थे कि नानी ने कहा था कि बच्चे की पहचान करने के लिये कर दो जिससे पुलिस या अन्य पूछे तो दिखा सकू 19ए के किसी गवाह से मेरी दुशमनी नहीं है मैं व मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार है मुझे यह पता नहीं था कि विपक्षीगण बेऔलाद है और उन्हें बच्ची को दिये जाने से खुशी व सुकून मिलेगा बच्ची को कुछ समय के लिये छोड़ा था समय सीमा तय नहीं थी अप्रैल 14 में मैं व मेरी पत्नी एक माह के लिये भारत आये थे जब तक हम इस भारत की ट्रिप में थे उसी समय के लिये बच्ची को छोड़ा था हम बच्ची को वापिस ले जाना चाहते थे टिकट भी था परन्तु विपक्षीगण ने कहा कि जब अगली बार आओगे तो ले जाना, इसलिये छोड़ दिया था अगली बार 2015 में आये थे, विपक्षीगण ने कहा कि बच्ची हमसे अटेच हो गयी है इसलिये कुछ दिन और रहने दो 2016 में फिर भारत आये, बच्ची वापिस नहीं ले गये क्योंकि विपक्षीगण ने कहा कि जब वीजा बनवाओ तब ले जाना अभी हमारे पास ही रहने दो 2018 में बच्ची का वीजा बनवाया, मुझे यह समझ नहीं है कि हमारे द्वारा बच्ची को विपक्षीगण को दिये जाने के बाद विपक्षीगण से उसे वापिस लेने पर विपक्षीगण को तकलीफ होगी और यह भी समझ नहीं है कि बच्ची को तकलीफ होगी यदि हम विपक्षीगण से वापिस लें विपक्षीगण ने कभी किसी कागज पर मेरे व मेरे पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर नहीं बनाये है दिनांक 11.04.14 के बाद विपक्षीगण से वापिस मॉगने के गवाहान शहनाज बेगम महजवीन परवीन गजाला परवीन यह सभी जीवित है मैनें विपक्षीगण से बच्ची का पासपोर्ट वापिस नहीं लिया बल्कि इन्होंने दिया था अपनी बच्ची वापिस ले जाओ वीजा बनवा लो, मैनें बच्ची को 2014 मे छोड़ने के समय इसक जन्म प्रमाणपत्र और सारी फाईल दी थी जो कि इन्होंने यह कहकर वापिस कर दिया कि हमने जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया है हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है 2014 में दिये जाने वाली फाईल में जन्म प्रमाणपत्र पास पोर्ट थे मैने बच्ची का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र कभी नही देखा लेकिन स्कूल में मातापिता कानाम बदलने पर मैने माना कि जन्म प्रमाणपत्र दूसरा बनवाया होगा। बच्ची का भूपा मेडिकल कार्ड 31.12.22 तक वैध है वो मेने दाखिल नही किया ह जो दाखिल किया है उसकी 31.12.19 वैधता है इसके बाद डिजिटल हो गया बच्ची कभी सउदी नही रही बस पैदा हुई थी मैने बच्ची की अभिरक्षा लेने को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका

न्यायालय
जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
अलीगढ़
उ0प्र0

दायर की थी जो इस मुकदमें के दौरान डाली थी मैने इस कार्यवाही का हवाला वहॉ नहीं दिया सूफिया निस्तर द्वारा करायी गयी एफ0आईआर मेने पढी है इस पर कोई कार्यवाही हुई है मेरी सास जीवित है मैंने शपथपत्र दाखिल किया है इस शपथपत्र पर मेरी सास ने मेरे सामने हस्ताक्षर नहीं किये वो कमीशन पर अपना बयान देने के लिये सक्षम है विपक्षीगण के विरूद्ध फर्जी कागजात बनाने की अभी कोई कार्यवाही नहीं की है 26.02.21 को पत्रावली में दत्ताग्रहण की डीड लगाने पर मुझे अपने भाई के जरिये इसकी जानकारी हुई मेरे पास नसरीन बेगम खड़ी है मेरी जॉब परमानेंट अनलिमिटेड है बच्ची की राष्ट्रीयता भारतीय है 33सी2 /2 लगायत 33 सी2/6 देखकर गवाह नेकहा कि यह मेरे और विपक्षी मौ0 सज्जाद के बीच के ई-मेल मैने मई 2014 मे मौ0 सज्जाद से दो लाख रूपेय लिये थे जो इन्होंने कर्ज लिया था लौटाया था मैने सज्जाद को दो लाख रूपये दिसम्बर 14 मे दिये थे नगद दिये थे कोई गवाह मौजूद नहीं था मौहम्मद सज्जाद के उपर मेरे रूपये होने का कोई सबूत नहीं है मेरी सास अप्रेल 2014 मे बच्ची को स्वय पालने पोषने में सक्षम नहीं थी अब तक भी मेरी सास बच्ची को पालन पोषने में सक्षम नहीं है मैने बच्ची का पासपोर्ट विपक्षीगण की बच्ची के स्कूल में पहचान के लिये दिया था। सेशन 2018-19 में बच्ची यूकेजी कक्षा आवर लेडी फातिमा स्कूल में थी या नहीं यह जानकारी नहीं है इसकी सारी जानकारी विपक्षीगण ने रिपोर्ट कार्ड दिखाये तब हुई। मैने कन्सोलूवेट आफ इण्डिया मे प्रार्थनापत्र जदददा में ई-मेल के द्वारा दी थी 25.06.2019 को ईमेल किया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मैने अपनी प्रार्थनापत्र 25.06.19 में यह लिखा था कि मैने व मेरी पत्नी ने स्वेच्छा से बच्ची को विपक्षीगण को सोंपा मैने व मेरी पत्नी बच्ची को अप्रेल 2014 में अपनी सास को देना लिखा है मै यह नहीं बता सकता। पिटिशन में यह नहीं लिखा कि मैने व मेरी पत्नी ने बच्ची को विपक्षीगण को सोपा पिटिशन के पैरा 13 को गवाह को दिखाने पर कहा कि इसमें लिखा है कि मेने व मेरी पत्नी ने बच्ची को विपक्षीगण के पास छोड़ा।यह नहीं लिखा है कि मैने वच्ची को अपनी सास के पास छोड़ा।

पी0डब्लू-2 ने अपनी सशपथ जिरह में कथन किया है कि मौ0 सज्जाद व उनकी पत्नी का मेरे यहॉ आना जाना नहीं था मै पहली बार गुफरान के यहॉ बारात लेकर गया था मै उनकी घर कभी नहीं गया 2017 की शपथपत्र में लिखी घटना मैने गुफरान से सुनी है मै स्वय उसजगह पर नहीं था शपथपत्र में 2018 की घटना के स्थान पर भी मै वहॉ उपस्थित नहीं था यह घटना भी गुफरान व उसकी पत्नी ने बतायी थी। मौ0 सज्जद आपराधिक प्रबृति के है यह मैने अपने रिश्तेदार गोलू इमरान अहमद से सुना है मुझे निजी जानकारी नहीं है। सूफियान निश्तर से मुझे जानकारी हुई कि सज्जाद व उसकी पत्नी ने कूटरचित दस्तावेज बनाये है मुझे जानकारी नहीं है गुफरान व उनकी

पत्नी ने बच्ची को सज्जाद व उसकी पत्नी को सौपा हो, यह मैने नहीं सुना बच्ची के दिये जाने के समय मै वहॉ मौजूद नहीं था।

पी0डब्लू–3 ने अपने साक्ष्य शपथपत्र में कथन किया है कि शपथकर्ता की मॉ शहनाज बेगम की प्रार्थनापत्र पर याचीगण अपनी नवजात पुत्री साढ़े तीन माह विपक्षी को कुछ समय के लिय देन के लिये तैयार हो गये क्योंकि मौ जहीर द्वारा अपनी नवजात पुत्री को जबरन वापिस लिये जाने पर विपक्षीगण अत्यधिक डिप्रेशन में थे विपक्षीगण के द्वारा एक सादे कागज पर बिना कोई तहरीर लिखे हुये याचीगण से मेरे सामने सिर्फ एक ही कागज पर अलग अलग हस्ताक्षर लिये और विपक्षीगण के कहने पर मेरे द्वारा भी इस खाली कागज पर हस्ताक्षर लिये गये। शहनाज बेगम द्वारा उस खाली कागज पर अंगूठा निशानी दी गयी विपक्षीगण द्वारा हम सभी को यह बतलाया गया कि भविष्य में बच्ची के बारे पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जानकारी लिये जाने पर यह पत्र दिखाते हुये कहा जायेगा याचीगण ने अपनी पुत्री को कुछ समय के लिये नानी व मामा मामी के पास छोड़ दिया है। शपथक्र्ता को अपनी मॉ शहनाज बेगम से यह भी मालूमात हुई कि विपक्षीगण बच्ची को अपनी पुत्री का तरह व्यवहार नहीं करते है और डॉट कर सहमा सहमा रखते है और उसकी परवरिश घर में रखी नौकरानी से कराते है ऐसी दशा में बच्ची विपक्षीगण के पास सुरक्षित नहीं है उक्त गवाह ने अपने शपथ जिरह में कथन किया है कि वह बीए आनर्स पास है । सज्जाद एएमयू में प्रोफेसर है उनकी पतनी नर्गिस बेगम पढ़ी लिखी महिला है मैने अपनी शपथपत्र में मौ सज्जाद व उनकी पत्नी द्वारा सभी रिश्तेदारों व भाई बहन व दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े के बारे में लिखी है उनके ऐसे व्यवहार के बारे में रिश्तेदारों से सुना है जिन रिश्तेदारों से सुना है उनके नाम याद नहीं है मैने अपने शपथपत्र में विपक्षीगण के ऐसे व्यवहार की निशचित तारीख नहीं लिखी है और ना ही घटना लिखी है विपक्षीगण द्वारा दोस्तो से दुर्भव्ययाहर के बारे किसी रिश्तेदार का नाम नहीं बता सकती मेरे विपक्षी व सज्जाद से सम्बन्ध अच्छे है। मेरी मॉ 2018 में मुझे बताया था कि विपक्षीगण का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है इससे पहले मेरी मॉ ने कभी नहीं बताया कि विपक्षीगण ने उनके साथ दुर्व्वहार किया है 2019 में मिलने पर मॉ ने बताया कि जब से वह अलीगढ़ आयी है 2018 में तभी से मौ0 सज्जाद व उसकी पत्नी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया मोबाईल छीन लिया, बैग से सारे कपड़े निकाल कर फैंक दिये एक रूम में केद कर दिया सज्जाद की पत्नी ने खाना भी बंद कर दिया। शपथपत्र में मैने मौहम्मद सज्जाद की पत्नी द्वारा मॉ को खाना न देने की बात नहीं लिखी है मैने मां को बताया कि विपक्षीगण बच्ची से नसरीन व उसके बच्चों की बात नहीं कराते थे और न ही नानी से मिलने देते थे। इसलाम कई बार वहुत से केसों में जेल जाता रहा है मौहम्मद सज्जाद के विरुद्ध कोई आपराधिक केस चला मुझे याद नहीं है

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

30/5/22

मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिससे कह सकू कि मौ0 सज्जाद आपराधिक प्रवृति के इन्सान हो। आपराधिक प्रवृति से मेरा मतलब गुस्सेल मिजाज है मेरे अनुसार मौहम्मद सज्जाद आपराधिक प्रवृति के इन्सान नहीं है गुस्सेल इंसान आपराधिक प्रवृति की बात शपथपत्र में गलत लिखी है जब याची ने बच्ची को विपक्षी को दिया उस समय बच्ची की उम्र साढ़े तीन माह थी।याचीगण के अधिवक्ता ने मेरे विपक्षीगण के बनाये गये फर्जी कागज कल दिखाये थे कागज इंगलिश में थे मै इंगलिश नहीं पढ़ सकती। अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षीगण गोदनामा बनवाये है यह कागज मुझे अधिवक्ता ने मेरे शपथपत्र के बाद दिखाया मैने कभी कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये है याद नहीं है मै अपने पति के लेख व हस्ताक्षर नहीं पहचान सकती मैने अपने पति को लिखते पढ़ते हस्ताक्षर करते हुये नही देखा है। क्योंकि मै हाउस वाईफ थी। कल याचीगण के अधिवक्ता ने गोदनामा की नकल दिखायी थी वह दिनांक 11.04.14 का था उस पर याची व मेरे हस्ताक्षर मेरी माँ की अंगूठा निशानी थी। सज्जाद के हस्ताक्षर थे तथा और लोगों के भी हस्ताक्षर थे दिनांक 11.04.14 को कोरे कागज पर हस्ताक्षर मैने अपनी मंर्जी से किये थे।

विपक्षीगण ने ~~उक्त~~ के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति में कथन किया कि प्रार्थीगण नाबालिग बच्ची जो साढ़े छः वर्ष की है के बॉयलोजिकल पैरेंटस है उत्तरदाता संख्या–1 का विवाह उत्तरदाता संख्या–2 के साथ हुआ और दुर्भाग्य से उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तब प्रार्थीगण ने अपनी खुशी व इच्छा से अवयस्क बच्ची को 11.04.2014 को विपक्षीगण को गोद दे दिया। प्रार्थीगण द्वारा अवयस्क बच्ची को स्वेच्छा से उत्तरदातागण को दिया गया है अतः अब वह अपनी बच्ची की विपक्षीगण से अभिरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते है। वर्ष 2014 से पहले प्रार्थीगण के दो पुत्रिया व एक पुत्र थी उत्तरदातागण के अपना कोई बच्चा नहीं था तब प्रार्थीगण ने स्वय से; अपनी बच्ची को जन्म के कुछ माह बाद ही गोद लिये जाने का प्रपोजल रखा, जिसे विपक्षीगण ने खुशी से स्वीकार कर लिया जिसके पश्चात उभयपक्ष की सहमति से साढे तीन माह की बच्ची को 11.04.14 को समस्तीपुर बिहार में विपक्षीगण ने प्रार्थीगण से ले लिया और 11.04.14 को एक गोदनामा निष्पादित हुआ जिसपर प्रार्थीगण ने सोच समझकर हस्ताक्षर किये तथा जहॉ कहीं भी दुरूस्तीकरण था वहॉ पर शूक्ष्म हस्ताक्षर किये। प्रार्थीगण पढ़े लिखे व्यक्ति है और 11.04.14 को अपनी स्वतंत्र इच्छा से उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। जो कि नोटराईड डीड है 11.04.14 से, जब से नाबालिग बच्ची साढ़े तीन माह की थी तब से स्नेह देखभाल प्यार के साथ विपक्षीगण ने उसको अपनी बेटी की तरह रखा है अब वह साढ़े छः वर्ष की हो गयी है और वो उनके जीवन का एक हिस्सा है और वो उसको अपने हृदय से प्यार करते है और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते है। उत्तरदातागण ने बच्ची के खुशी के लिये हर उत्तम प्रयास किया बच्ची विपक्षीगण से

30/8/22

बहुत करीब है और वह उनके बिना नहीं रह सकती है नाबालिग अलीगढ़ के अच्छे स्कूलो में से एक आवर लेडी फातिमा में कक्षा 1 से कक्षा दो में आयी है उत्तरदातागण उसके पढ़ाई का विशेष रूप से ध्यान रखते है जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके यदि बच्ची की अभिरक्षा उत्तरदागण से ले ली जावेगी तो उत्तरदातागण गहरे सदमें में चले जायेगे और वह अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पायेगे और उनके स्वास्थ व जीवन पर भी असर पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ गोद लेने को मानयता देता है या नहीं इन तकनीकी बातों पर न जाकर यहॉ पर बच्ची का वेलफेयर मुख्य बिन्दु है विधि जिसके विरूद्ध कभी नही हो सकती। नाबालिग की अभिरक्षा के लिये उसंकी उन्नती ऐश्वर्य खुश आनन्द व हित उच्च प्राथमिकता रखते है जो कि उसके विपक्षीगण के साथ रहकर, उसका भविष्य उज्जवल बन सके। न कि तकनीकी कारणों में कि मुस्लिम विधि में गोद लेने व देने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बच्चे की उन्नती ऐश्वर्य व सुख व हित से उपर नहीं हो सकता है अतः यहॉ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है यह है कि नाबालिग की उन्नती ऐश्वर्य सुख आननद व हित किसके साथ में है। याचीगण द्वारा मात्र साढे तीन माह की अल्प आयु में बच्ची को दिये जाने के फलस्वरूप उसका पालन पोषण विपक्षीगण द्वारा लगातार अब तक करना महत्वपूर्ण है जो स्वय स्पष्ट करता है कि यदि याचीगण वास्तव में नाबालिग का अपने साथ रखकर पालन पोषण करना चाहते तो वह अपनी स्वेच्छा से उसे विपक्षीगण की अभिरक्षा में इतनी अल्प आयु में न देते। याचीगण का यह कहना उनके द्वारा बच्ची विपक्षीगण के डिप्रेशन को दूर करने के लिये दी गयी थी किसी साधरण सामान्य प्रज्ञयावन व्यक्ति के लिये भी विश्वास योग्य नहीं है क्योकि किसी रिश्तेदार के डिप्रेशन को दूर करने के लिये अल्प आयु में बच्चा दिया जाता है और वह रिश्तेदार उस बच्चे को पाल पोष कर बड़ा करता है और उसका लगाव उस बच्चे के प्रति चरम सीमा तक पहुॅचा जाता है उस समय बच्चे को उन रिश्तेदारों की अभिरक्षा से ले लिया जाना उन रिश्तेदारों पर बज्रपात के समान है और उस समय उनका डिप्रेशन अपने चरम पर होगा जिससे निकलनाा हमेंशा हमेशा के लिये असम्भव है। याचीगण ने अपनी याचिका में यह नहीं बताया है कि नाबालिग को उन्होंनें किस समय तक के लिये दिया था जो इस बात को घोतक है कि वास्तव में याचीगण ने नाबालिग को हमेंशा हमेशा के लिये विपक्षीगण को गोद दिया था। याचीसंख्या –1 ने बच्चे का गर्भधारण इस उददेशय से किया कि बच्चे को विपक्षीगण को गोद देना है याचीगण के बताये कफाला सिस्टम में भी बच्चे के देखरेख की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसमें भी वेलफेयर ऑफ द चाईल्ड ही महत्वपूर्ण है याचीगण अपने फायदे के लिये नाबालिग बच्ची को विपक्षीगण को दिया था तथा याचीगण द्वारा समय समय पर विपक्षीगण से पैसे की मॉग की गयी। गोदनामा 11.04.14 निष्पादित करने के बाद याचीगण ने नाबालिग का जन्म

न्यायालय
जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
अलीगढ़
उ0प्र0

31/7/22

प्रमाण्पत्र विपक्षीगण संख्या–1 को यह समझकर दिया कि उसकी जरूरत स्कूल में होगी और पासपोर्ट यह कहकर ले गये और उसका जरूरत आकामा से नाबालिग का नाम हटवाने के लिये होगा। उक्त गोदनामा अभिलेख याचीगण ने अपनी स्वेच्छा से कराया था और पढकर समझाकर उसपर हस्ताक्षर किये थे। असल गोदनामा 11.04.14 जो कि मूल रूप में पत्रावली पर है में याचीगण गुफरान नस्तर व श्रीमती नसरीन बेगम प्रथम पक्ष तथा डा मौ0 सज्जाद श्री नरगिस बेगम के मध्य नोटरी के समक्ष निष्पादित हुआ टाईप होने के पश्चात उसे उक्त अभिलेख को प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को पढ़कर समझा दिया गया उक्त अभिलेख पर समझाने के पश्चात गुफरान नस्तर व नसरीन बेगम ने अपने हस्ताक्षर मेरे सामने किये तत्पश्चात तद्धतीय पक्ष ने अपने हस्ताक्षर किये इस पर बतौर गवाह श्रीमती महजबीन परवीन ने अपने हस्ताक्षर व शहनाज बेगम ने निशानी अंगूठ परवेज आलम अफसाना बेगम व मौ0 अशराफ परवेज ने अपने अपने हस्ताक्षर मेरे सामने किये प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष चारों गवाहों की शिनाख्त शकील अहमद अधिवक्ता ने की थी जो कि मेरी बहन महजवीन परवीन के पति है मै उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ उसके पश्चात वह नोटरी के समक्ष प्रस्तुत हुआ नौटरी के समक्ष इस अभिलेख का निष्पादन प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष से स्वीकार किया तत्पश्चात नोटरी ने अपना पष्ठांकन हस्ताक्षर व सील लगाया जिनहें मै पहचानता हूँ और शिनाख्त करता हूँ। उत्तरदाता ए0एम0यू0 में प्राफेसर के रूप में कार्यरत है। उत्तरदाता व उसकी पत्नी ने कभी भी बच्ची की देखभाल नौकरानी से नहीं करायी बच्ची से सम्बन्धित समस्त देखभाल पालन पोषण पढ़ाई लिखाई उसके स्कूल के समय से अलग उत्तरदाता ही करते है वही घर पर पढाते है अतः बच्ची का वेलफेयर उत्तरदाता व उसकी पत्नी के साथ रहने में ही है नाबालिग को उत्तरदातागण से लेकर याचीगण को दिया गया तो नाबालिग उनके साथ सुखी व स्वस्थ नहीं रह पायेगी बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी होगा और भविष्य भी अन्घकारमय हो जायेगा। शेक्षिक सत्र 2016–17 का नाबालिग का प्ले ग्रुप में अलबरकात स्कूल में प्रवेश कराते हुये याचीगण संख्या–1 व उसकी बड़ी पुत्री हफीफा भी मौजूद थी उन्होंने नाबालिग के जन्म प्रमाणपत्र की फोटो प्रति जमा करके असल जन्म प्रमाणपत्र अपने पास रख लिया उत्तरदातागण ने कभी कोई प्रपत्र या अभिलेख कूटरचित नहीं किया है याचीगण द्वारा नाबालिग गोद स्वरूप हमेशा के लिये उत्तरदाता गण को दिय जाने के साथ याची संख्या–2 उनसे रूपये ऐठते रहे जब उन्होंने ब्लेकमेल होना बंद कर दिया जव मुकदमें बाजी शुरू हुई।

डी0डब्लू–1 ने अपने सशपथ साक्ष्य में आपत्ति का समर्थन करते हुये अपनी सशपथ जिरह में कथन किया है कि मै एमए पीएचडी हूँ मेरी नौकरी स्थायी थी मै सितम्बर 2003 से इसी विभाग में नौकरी कर रहा हूँ। वर्ष 2014 में मेरा वेतन 60,000 रूपये रहा होगा अभी दो लाख पचास हजार रूपये वेतन मिलता है। गृहकर एलाउन्स के अलावा। मेरी अपनी

न्यायालय ... उ0प्र0

3/1/22

कोई बॉयोलोजिकल औलाद नहीं है पुरानी सर्विस को गलत मानते हुये मुझे नोटिस दिया था जिसका अब एक्यूटल हो चुका है स्कूल अलबरकात व प्ले स्कूल में दाखिले के समय मै और बहन दोनों गये थे छाया प्रति जन्म प्रमाणपत्र दाखिल किया था। 29ग/2 से दाखिल पत्रावली में जन्म प्रमाणपत्र वो वाला नहीं है क्योंकि उसमें पिता का नाम गुफरान निश्तर तथा मॉ का नाम नसरीन लिखा है बच्ची के स्कूल में अधिवक्ता के सामने मेरी बहन नसरीन ने उसको गोदनामा व जन्म प्रमाणपत्र दोनों को दिखाया था बच्ची के स्कूल के पेपर में पिता की जगह मेरा तथा मॉ के नाम में मेरी पत्नी का नाम आया है ओ0एल0एफ में पूर्व स्कूल अलबरकात के पेपर पर ही दाखिला हुआ था। मेरी मॉ को 50–60 हजार रूपये पारिवारिक पैंशन मिलती है गुफरान की बेटी को दत्तक देने के एक माह बाद बार बार पैसे मॉगने पर मैने उन्हें नहीं देने पड़े यह मेल किया था कि मेरे पास पैसे नहीं है गुफरान ने स्पष्ट रूप से यह लिखकर पैसा नहीं मॉगा कि बच्ची के बदले पैसा चाहिये, लेकिन मॉगने की मंशा यह थी गुफरान के पास 3 बच्चे है उनका एक बच्चा मेरे पास है। वर्ष 2018 में पहली बार गुफरान ने बच्चे को वापिस मॉगा तभी मैने देने से इंकार किया था यह मेरी बेटी है इसलिये नहीं देना चाहता। मेरे बहन बहनोई मेरे बच्चा न होने के कारण अपने होने वाले बच्चा मुझे देने का निश्चित किया। बच्ची होशियार बच्ची है बच्ची के प्राकृतिक माता पिता वर्ष 2018 में मिले थे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मिलने के अधिकार दिनांक 08.08.2019 को यह बच्ची से नहीं मिले। मेरे चाचा शकील की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई थी बाद में हमें शक हुआ कि उनकी हत्या हुई है। असलम पर शक होने के बाद हमने हत्या करा दी हो गलत है उनकी हत्या के सम्बन्ध में मुझ पर और मेरे गवाह राशिद पर असलम की पत्नी ने 302 भा0दं0सं0 का थाना सरिया मुज्फ्फरनगर बिहार में दिनांक 25.10.13 में एफ0आई0आर हुई उसमें एफ आर लग चुकी है असलम हिस्ट्रीशीटर था जून में उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसपर एफ0आई0आर0 हुई थी बाद में उसकी हत्या में रंजिशन मेरे नाम रिपोर्ट हुई थी जिसपर एफआर लग गयी है स्टाम्प के पहले पेपर पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है जहॉ जहॉ करेक्शन हुआ है वहॉ गुफरान के इनिशियल है। 19ए कागज मैने ही न्यायालय में दाखिल किया है हस्ताक्षर शकील अहमद उर्फ तमन्ने अधिवक्ता ने सत्यापित किये है यह महजवीन परवीन के पति है महजवीन परवीन ने इसमुकदमें में पी0डब्लू–2 के रूप में गवाही की थी। 29ग/8 माननीय उच्च न्ययालय के आदेश दिनांकित 15.06.21 द्वारा स्थानीय मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने धारा 97, 98 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये थे उसके बाद अपर टाउन मजिस्ट्रेट ने दिनांक 30.09.21 को आदेश जारी किये थे। धारा 97, 98, 100 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत इस आदेश में न्यायालय में बच्ची को इस आदेश के तहत न्यायालय में आने के निर्देश दिये गये थे। इसके विरूद्ध मैने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट की थी इस आदेश मे माननीय उच्च न्यायालय ने मुझसे पूछा था कि नोटरी दस्तावेज कैसे कैप है उसका जवाब मैने नहीं दिया था। दिनांक 15.12.21 को माननीय उच्च न्यायालय से स्टे मिला था। 23ग/3 शपथपत्र मेरी मॉ का नहीं है इस शपथपत्र पर दिनांक 05.04.21 के बारे मे मुझे कोई जानकारी

न्यायालय
जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
अलीगढ़
उ0प्र0

GSA1/12

नहीं है न ही मॉ ने दी। मॉ ने कहा कि मैने कोई शपथपत्र जारी नहीं किया है। गोदनामा जन्म प्रमाणपत्र के पहले तैयार हो चुका था इस जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर मैने खुद को बच्ची का पिता व पत्नी को उसकी मॉ मानता हूँ। ओ0एल0एफ0 में बच्ची का असल जन्म प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया। अलबरकात स्कूल में जो कागज दाखिल हुये थे वही ओ0एल0एफ में दाखिल हुये थे जन्म प्रमाणपत्र पर मेरा नाम पिता तथा पत्नी का नाम मॉ के स्थान पर लिखा होने का कारण, गोदनामा से मैने रजिस्ट्रेशन फार्म में जानकारी भरी।

डी0डब्लू–2 ने अपने सशपथ जिरह में कहा है कि मुझे यहॉ गवाही में सज्जाद ने बुलाया है मै सज्जाद के कहे अनुसार ही न्यायालय में गवाही दूँगा मैने गोदनामा के विषय में कुरान में कुछ नहीं पढ़ा है। मैने अपने शपथपत्र के साथ गोदनामा की प्रति दाखिल की है। गोदनामा दिनांक 11.04.14 का है मुझे इस गोदनामें पर गवाही सज्जाद की मॉ ने बुलाया है गोदनामा मेरे सामने तैयार हुआ था गोदनामा पर गवाहों के हस्ताक्षर आदि की तस्दीक अधिवक्ता शकील ने की है यह तस्दीक घर में हुई थी गोदनामा पर 4 हस्ताक्षर व एक अंगूठा निशानी है मैने गोदनामा पर लिखी तहरीर को पढ़कर ही अपने हस्ताक्षर किये थे यह नोटरी मेरे सामने हुआ था। तहरीर के पैरा 8 में लिखा शान्ति से मतलब बिना औलाद होने के कारण अशांति से है।

गवाह डी0डब्लू–3 नर्गिस बेगम ने सशपथ जिरह में में कथन किया है कि पत्रावली पर दाखिल गोदनामा मेने देखा है वह दिनांक 11.04.14 का है मैने उर्दू में बीए एमए किया है अभी जल्दी में थीसेज जमा की है मै हिन्दी इंगलिस जानती हूँ यह गोदनामा शकील अधिवक्ता ने तैयार कराया था उन लोगों ने हमको दिखाया था गोदनामा पहले टाईप हुआ था हमारे सामने तारीखें भरी गयी थी गोदनामा में गुफरान व नसरीन बच्ची के प्राकृतिक माता पिता दिखाये है जो कि सही है मैने कुरान पढ़ी है मुस्लिम विधि में गोदनामें की इजाजत न हो इसकी मुझे जानकारी नहीं है यह गोदनामा मर्जी से ही लिखा गया था मैने स्कूल में कभी गोद ली हुई नहीं बताया गोद लेने से मै प्राकृतिक मॉ नहीं हो जाउगी। मैने अपनी पढ़ाई आदि के समय बच्ची को अपने शौहर पर छोड़ा है।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजीपुर उ0प्र0

प्रस्तुत मामला प्राकृतिक माता पिता द्वारा अपनी साढ़े तीन माह की बच्ची को विपक्षीगण को देने तथा संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 25 में उसकी अभिरक्षा लेने से सम्बन्धित है अतः प्रस्तुत मामले में संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 25 महत्वपूर्ण है जो निम्न प्रकार प्राविधान करती है कि :–

25. प्रतिपाल्य की अभिरक्षा का संरक्षक का हक :– 1. यदि प्रतिपाल्य अपने शरीर के संरक्षक की अभिरक्षा को छोड़ देता है या उससे हटा दिया जाता है तो यदि न्यायालय इस राय का है कि प्रतिपाल्य के लिए यह कल्याणकर होगा कि वह संरक्षक की अभिरक्षा में लौट आए तो वह उसके लौट आने के लिए आदेश कर सकेगा और उस आदेश का प्रवर्तन

30/1/22

कराने के प्रयोजन से प्रतिपाल्य को गिरफ्तार करा सकेगा और संरक्षक की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए उसे परिदत्त करा सकेगा ।

(2) प्रतिपाल्य की गिरफ्तारी के प्रयोजन से न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1882 (1882 का 10)2 की धारा 100 द्वारा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति के पास, जो उसका संरक्षक नहीं है, प्रतिपाल्य का अपने संरक्षक की इच्छा के विरुद्ध निवास, स्वतः संरक्षकता का पर्यवसान नहीं कर देता ।

पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्ष के अभिवचनों एवं साक्ष्य के परिप्रेक्षय में स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अपनी साढ़े तीन माह की छोटी बच्ची को प्रार्थिनी संख्या–1 के सगे भाई विपक्षी संख्या–2 को दिया जिसका कारण भाई के बच्चा न होना बताया गया। प्रार्थिगण का तर्क है कि उन्होंने बच्ची को कुछ समय के लिये दिया था परन्तु उक्त विशिष्ट समय या उम्र प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कहीं स्पष्ट नहीं की गयी है मात्र कारण भाई के संतान न होना एवं उनका इस कारण अवसाद में रहना बताया गया, विपक्षीगण का तर्क कि बच्ची को गोद लेने का गोदनामा दिनांक 11.04.14 को प्रार्थीगण द्वारा निष्पादित किया गया था जो 19क के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है 19क प्रपत्र के निष्पादन के सम्बन्ध में उभयपक्ष में विवाद है तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि उभयपक्ष के मध्य उक्त गोदनामा निष्पादित हुआ था तो भी यहॉ महत्वूपर्ण प्रश्न यह है कि उभयपक्ष मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित होने के नाते क्या विधिक रूप से गोदनामा निष्पादित कर सकते थे?

विधिक तथ्य यह है कि मुस्लिम ईसाई और पार्सी धर्म में गोदनामें को मान्यता नहीं है उक्त धर्म के अनुयायी संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अन्तर्गत न्यायालय में अनुतोष हेतु आ सकते है। ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि उभयपक्ष मुस्लिम होने के कारण गोदनामें से नाबालिग बच्ची को गोद नहीं ले सकते थे ।

अब न्यायालय को देखना यह है कि बच्ची की वास्तविक स्थति क्या है पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि नाबालिग बच्ची साढ़े तीन माह की अति अल्प आयु से लेकर वर्तमान उम्र साढ़े आठ वर्ष तक प्रार्थीगण की सहमति से विपक्षीगण की अभिरक्षा में रही है विपक्षीगण द्वारा ही उसका लालन पालन एवं अब तक की शिक्षा करायी गयी है। नाबालिग बच्ची की कक्षा 1 , 2 व 3 की अंकतालिकाऐं पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि नाबालिग बच्ची अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती रही है पी0डब्लू–1 के रूप में स्वय प्रार्थी ने बच्ची का बुद्धिमान होना स्वीकार किया है न्यायालय द्वारा स्वय नाबालिग बच्ची से प्रश्न करने पर उसके द्वारा बहुत ही सलीके से प्रश्नों के उत्तर दिये गये जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण बच्ची के देखभाल अच्छी प्रकार से कर रहे है। प्रार्थीगण जो बच्ची के प्राकृतिक माता पिता है ने अपनी दुधमूही बच्ची को अल्प आयु मे अपने से दूर कर दिया वजह चाहे जो भी रही हो जबकि विपक्षीगण जो कि उसके प्राकृतिक माता

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

65A/13

पिता नहीं है लेकिन उन्होंने उस साढ़े तीन माह की अल्प आयु से लेकर आज साढ़े आठ वर्ष की आयु तक उसका लालन पालन कर बड़ा किया विपक्षी संख्या–2 ने एक मॉ के रूप में इतनी अल्प आयु की बच्ची की प्राकृतिक दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया।

अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या अवयस्क के मानवाधिकार पक्षकारों के विधिक अधिकारों से उपर है अथवा नहीं है।

वाद के पक्षकार मुस्लिम होने के कारण गोद नहीं ले सकते परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 19ए से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आशय स्थायी रूप से विपक्षीगण को बच्ची को देना था जिससे विपक्षीगण उसकी माता पिता के रूप में परवरिश करें। यहॉ यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अवयस्क पैदाईश के तुरन्त बाद से अब तक प्रार्थीगण की सहमति से लगभग साढ़े आठ वर्ष की आयु तक विपक्षीगण को ही माता पिता के रूप मे देखती रही है। नैसर्गिक रूप से, बच्ची भावनात्मक रूप से विपक्षीगण से जुडी हुई होगी। बच्चों का शारिरिक विकास के साथ साथ मानसिक एवं भावनात्मक रूप से भी विकास होता है बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाते है न्यायालय द्वारा स्वय बच्ची का बयान अंकित किया गया जिसमें बच्ची द्वारा विपक्षीगण को अपना अब्बा व अम्मी बताते हुये कथन किया है कि अब्बा सुबह स्कूल छोड़ने जाते है अम्मी खाना खिलाती हैं। वो अम्मी के पास सोती है उनके बिना उसको नींद नहीं आती है वह अपने अब्बा व अम्मी के पास रहना चाहती है बच्ची ने अपनी प्राकृतिक मॉ को अब्बा की बहन बताया फूफी भी नहीं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थिनी के साथ बच्ची सहज नहीं है उसे अपनी प्राकृतिक मॉ से फूफी के समान भी स्नेह व लगाव होना परिलक्षित नहीं होता है। बच्ची को अचानक से उसके द्वारा अपने माता पिता समझे जाने वाले व्यक्ति से लेकर प्रार्थीगण को दिये जाने पर बच्ची के मस्तिष्क पर भावनात्मक रूप से गहरा प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था वी रविचंन्द्रन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (2010) एससीसी 174 में अभिनिर्धारित किया है कि अवयस्क की अभिरक्षा का निर्धारण करते समय न्यायालय को पक्षकारों के विधिक अधिकारों को दृष्टिगत रखने के बजाय अवयस्क का हित सर्वोपरी बिन्दु होना चाहिये। ~~अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या अवयस्क के मानवाधिकार पक्षकारों के विधिक अधिकारों से उपर है या नहीं।~~ उपरोक्त विशलेषण एवं माननीय उच्चतम न्यायलय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में बच्ची के मानवाधिकार पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर प्रभावी होगें तथा बच्ची की अभिरक्षा के लिये पक्षकारों के अधिकारों से नावालिग बच्ची का वेलफेयर उपर होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था गुरू नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल(2009) 1 एससीसी 42 एवं विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह (20017 3 एससीसी 231 मे अभिनिर्धारित किया गया है कि अवयस्क का हित निर्धारित करते समय अवयस्क के नैतिक कल्याण के साथ साथ शारीरिक विकास को दृष्टिगत रखना होगा अवयस्क को ऐसा वातावरण मिलना चाहिये जो कि उसके सर्वोत्तम व्यक्तिक विकास में सहायक हो। ऐसे मे न्यायालय के

जिला न्यायालय अलीगढ़ उ0प्र0

30/1/22

लिये मुख्य विचारणीय बिन्दु केवल और केवल बच्ची का वेलफेयर होगा। बच्ची के वेलफेयर को देखने में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि बच्ची ज्यादा खुश कहाँ रहेगी, बच्ची का शरीरिक एवं मानसिक विकास एवं आराम कौन ज्यादा देख सकता है, बच्ची को प्यार और लगाव कौन ज्यादा दे सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि बच्ची के प्राकृतिक माता पिता द्वारा बच्ची को साढे तीन माह की अल्प आयु जब कि वह हर आवश्यकता के लिये दूसरों पर निर्भर थी विपक्षीगण को दे देना एवं अब अपरिवर्तित परिस्थिति में बिना किसी कारण के वापिस मॉगना दर्शाता है कि उनके द्वारा बच्ची को बच्ची न समझकर एक वस्तु समझा गया जब उनका मन हुआ वस्तु के रूप में उसे अपने भाई को दे दिया और भाई से अनबन होने पर अब वस्तु के रूप में पुनः वापिस मॉगने लगे। प्रार्थी संख्या–2 ने पी0डब्लू–1 के रूप में परिक्षित होते समय कथन किया है कि उसे समझ नहीं है कि विपक्षीगण से बच्ची को वापिस लेने पर बच्ची को तकलीफ होगी प्रार्थी के उक्त कथन से प्रार्थीगण की बच्ची के प्रति असंवेदना दर्शित होती है। बच्ची कोई वस्तु नहीं है अर्थात Children can not treeted as chattel a property उपरोक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवयस्क बच्ची के प्राकृतिक माता पिता के सापेक्ष विपक्षीगण अर्थात जिन्हें वह अपने माता पिता के रूप में बचपन से जानती है उसके साथ उसका वेलफेयर ज्यादा है क्योंकि प्राकृतिक मॉ द्वारा अपनी दुधमूही बच्ची को भाई को दे देना मॉ के रूप में Love and affection नहीं माना जा सकता है बच्ची उन्हें फूफी तक बुलाने में सहज नहीं है प्रार्थिनी निरंन्तर न्यायालय में उपस्थित रहने के बाबजूद साक्षी के रूप में पत्रावली में परीक्षित तक नहीं हुई है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिक व्यवस्था **<u>रोजी जैकब बनाम जैकब चरखामल (1973)1 एससीसी 840</u>** महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया हैं कि बच्चे माता पिता की संपत्ति नहीं है और न ही उनके खेलने की वस्तु है।

बच्ची एक फूल सी नन्ही जान है न्यायालय को उसकी अभिरक्षा देने से पूर्व उसके वेलफेयर के साथ साथ उसकी इच्छा को भी देखना होगा। न्यायालय द्वारा बच्ची के बयान अंकित किये गये जिसमें बच्ची ने विपक्षीगण अर्थात अब्बा व अम्मी के पास रहने की इच्छा प्रकट की है। पी0डब्लू–1 के रूप में प्रार्थी संख्या–2 जो बच्ची के प्राकृतिक पिता हैं, भी बच्ची की मर्जी के बिना उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते है। ऐसे में बच्ची की विपशीगण अर्थात अपने अब्बू व अम्मी के साथ रहने की इच्छा को न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

दौराने बहस प्रार्थीगण का तर्क है कि विपक्षीगण ने नाबालिग बच्ची का फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया है अपने उक्त कथन के सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थीगण ने कोई विधिक कार्यवाही की हो इस सम्बन्ध मे पत्रावली पर कोई साक्ष्य नही है।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

30/11/22

प्रार्थीगण की बहस का दूसरा तर्क कि विपक्षी संख्या–1 मौ0 सज्जाद एक मुकदमें बाज व्यक्ति है और उसके विरूद्ध अनेक आपराधिक मामले लंबित है अपने उक्त कथन के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा उक्त मुकदमों से सम्बन्धित माननीय न्यायालयों का कोई अन्तिम निष्कर्ष पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है विपक्षी संख्या–1 का कोई आपराधिक ईतिहास हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र एवं साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रार्थी साक्षी पी0डब्लू–2 ने सुनी सुनायी बातों पर अपना साक्ष्य दिया है उक्त साक्ष्य हीअर से साक्ष्य की श्रेणी में आने के कारण विधिअनुसार उक्त गवाह के साक्ष्य का पत्रावली में कोई महत्तव नहीं है। प्रार्थी साक्षी पी0डब्लू–3 ने विपक्षीगण द्वारा बच्ची के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किये जाने का कथन प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्रों के कथनों से भी परे जाकर किया है जब कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई अभिलम्ब नहीं लिया है। प्रार्थीगण ने,अपने प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण के बच्चा न होने के अवसाद से बाहर आने तक के समय के लिये 2014 में बच्ची उन्हें देने, फिर 2018 तक वीजा न होने तथा अग्रिम कम पर वीजा हो जाने पर ले जाने तथा विपक्षीगण की मंशा की वो बच्ची को अपने साथ नहीं रखना चाहते है का पता लग जाने पर भी अपने साथ लेकर नहीं जाना तथा प्रार्थी संख्या–2 को पी0डब्लू–1 के रूप में बयान कि वो बच्ची को अपनी सास शहनाज बेगम के पास छोड़कर गये थे विपक्षीगण के पास नही जबकि स्वय इसी साक्षी ने जिरह के अग्रिम स्तर पर अपनी सास को बच्ची को पालने पोषने में असक्षम बताया है। गवाह ने अपने प्रार्थनापत्र से विरोधाभाषी कथन अपनी जिरह में करते हुये यह भी कहा कि उन्होंने 2014 की भारत ट्रिप के लिये ही अपनी बच्ची को छोड़ा था 2015 में भी विपक्षीगण बच्ची को अपने से अटैच हो जाना कहने पर लेकर नहीं गये तथा 2018 में अन्तिम रूप से बच्ची का वीजा बनवाया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र, मुख्य परीक्षा एवं जिरह में विरोधाभाषी कथन किये है उक्त के सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी माननीय न्यायालय की विधि व्यवस्थाऐं **KATTINOKKULAMURALI KRISHNA versus VEERAMALLAKOTESWARA RAO AND OTHERS 2010 (28) LCD 216**, एवं **उत्तम चंद जरिये विधिक वारिसान बनाम नाथूराम जरिये विधिक वारिसान 38 एलसी0डी 315 एससी0** महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि अभिवचनों के तथ्यों को साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जावेगा अभिकथनों के परे कोई साक्ष्य ग्रहय नहीं होगा और साक्ष्य के बिना कोई अभिकथन सावित नहीं माना जावेगा।

प्रस्तुत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था अथर हुसेन बनाम सययद सिराज अहमद एवं अन्य ए0आई0आर 2010 एससी0 1417 अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पूर्णत: अभिमत व्यक्त किया गया

है कि In matters of custody, as well-Settles by judicial precedent, welfare of the children is the solo and single yardstick by which the court shall assess the comparative merit of the parties contesting for custody.

माननीय न्यायालयों की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विशलेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विचारणीय बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में अपने कथनों को अपने साक्ष्य से सिद्ध करने में असफल रहे है अतः विचारणीय बिन्दु संख्या–1 प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण विचारणीय बिन्दु संख्या–2:– यहं विचारणीय बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **"क्या प्रार्थी/वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?**

उभयपक्ष के अभिवचनों एवं साक्ष्य से यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण अवयस्क बालिका के प्राकृतिक माता पिता है जिनके द्वारा साढे तीन माह की अल्प आयु में अपनी बच्ची को विपक्षीगण को दे दिया गया। विचारणीय बिन्दु संख्या–1 में उक्त के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्रदान किया जा चुका है परन्तु यहॉ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि नाबालिग बच्ची के प्राकृतिक माता पिता प्रार्थीगण है ऐसे में भले ही उन्होंने अति अल्पआयु की अपनी बच्ची को विपक्षीगण को दे दियां हो उनकी बच्ची को प्राकृतिक माता पिता होने के नाते अपनी बच्ची को देखने एवं मिलने की नैसर्गिक इच्छा अवश्य होगी एवं अपने प्राकृतिक माता पिता से मिलना बच्ची के सर्वागीण विकास में भी सहायक होगा अतः न्यायालय इस मत की है कि नाबालिग बच्ची के प्राकृतिक माता पिता को वर्ष में एक बार बच्ची के शिक्षा सत्र में ग्रीष्म कालीन अवकाश होने पर उन्हें बच्ची से 15 दिन के लिये अपने खर्चे पर अपने पास लाकर रखने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार विचारणीय वाद बिन्दु संख्या–2 निस्तारित किया जाता है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अवयस्क बालिका की प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते अभिरक्षा देने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है प्रार्थीगण अपने प्रार्थनापत्र के कथनों को अपने साक्ष्य द्वारा साबित करने में असफल रहे है विचारणीय ब्रिन्दु संख्या–1 पूर्व प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जा चुका है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ उ0प्र0

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र संख्या– 73/2019, 4क वास्ते अवयस्क की अभिरक्षा विरूद्ध विपक्षीगण निरस्त किया जाता है अवयस्क बालिका व्यस्क होने तक विपक्षीगण की अभिरक्षा में रहेगी। प्रार्थीगण को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक वर्ष अवयस्क की शिक्षा सत्र में होने वाले ग्रीष्म कालीन अवकाश में 15 दिन की अवधि के लिये अवयस्क को जनपद अलीगढ़ में अपने पास अपने खर्चों पर लाकर रख सकेंगे,

30/11/22

GSA1
15

परन्तु उक्त 15 दिन की अवधि में प्रार्थीगण अवयस्क को जनपद अलीगढ़ की सीमा से बाहर नहीं ले जायेगे। विपक्षीगण उक्त में प्रार्थीगण का सहयोग करेंगे।वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल संग्रहशाला हो।

दिनांक–मई 30, 2022

(ज्योति सिंह)
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
कोर्ट संख्या–03, अलीगढ़।
J.O. Code No.1720

प्रस्तुत निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–मई 30, 2022

(ज्योति सिंह)
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
कोर्ट संख्या–03, अलीगढ़।
J.O. Code No.1720